SACHCHA RAHI • ISSN 2582-4007 • VOL 22 • ISSUE 01 • MARCH 2023

हिन्दी

मार्च 2023

सच्चा राही

लखनऊ

सामाजिक एवं साहित्यिक

रमज़ानुल मुबारक

रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है। ईमान व इबादत का महीना है, मुसलमान को मुसलमान बन कर और अपने आमाल को ख़ुदा की प्रसन्नता के अनुकूल ढालने की कोशिश का महीना है, दौलतमन्द को अपनी दौलतमन्दी के द्वारा खुदा को राज़ी व ख़ुश करने का और ग़रीब को अपनी ग़रीबी के बावजूद नेक अमल करने का महीना है। यह महीना आता है तो माहौल को पुरनूर कर देता है, ईमान वालों में ख़ुशी की लहर दौड़ा देता है।

(हज़रत मौलाना सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी)

एक प्रति ₹ 30/=

वार्षिक ₹ 300/=

सरपरस्त
हज़रत मौलाना सै० मुहम्मद राबे हसनी नदवी
नाज़िम नदवतुल उलमा, लखनऊ

सम्पादक
मु0 गुफ़रान नदवी
उप सम्पादक
जमाल अहमद नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
☎ 0522–2740406 (8:00 am to 1:00 pm)
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
http://sachcha-rahi.nadwa.in/
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि
एक प्रति ₹ 30/-
वार्षिक ₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ
SACHCHA RAHI.ISSN 2582-4007

मार्च 2023 वर्ष 22 अंक 01

रमज़ान का एहसान

मुबारक हो, ज़िन्दगी में एक बार फिर आपको रमज़ान की दौलत हासिल हो रही है, ईमान का मौसम और तक़्वे की फसल का ज़माना आ गया, इस ख़ैर व बरकत वाले मौसम के इतने एहसानात हैं कि अगर कोई गिनना चाहे तो कोई गिन नहीं सकता, दिलों में नरमी, आँखों में नमी, मिज़ाज में संयमता, एक दूसरे को मॉफ करने की ओर झुकाव, दुआओं की ज़्यादती, कुर्आन की तिलावत पर तवज्जोह, फराएज की अदायगी में चुस्ती, तरावीह की बरकतें, मग़फिरत की तलब, रहमत की आरज़ू, यह सब की सब रमज़ान की सौगातें हैं।

(मौलाना अब्दुल्लाह अब्बास नदवी रह0)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक मोहम्मद ताह्र अतहर द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Composing by: Qamaruzzama-8318047804

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	मौलाना हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0	07
रोज़ा एक इस्लामी इबादत	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	09
रमज़ानुल मुबारक एक बड़ी दीनी	हज़रत मौ0 सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी	11
इस्लामी अक़ीदे	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	12
भारत के अतीत में मुस्लिम	सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान	14
कामन सिविल कोड	डॉ मंजूर आलम	16
रोज़े की अहमियत	मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी रह0	19
कुर्आन ख़ुदा का पैग़ाम	इं0 जावेद इक़बाल	23
ऐलाने मिल्कियत	इदारा	26
तुर्की का विनाशकारी भूकंप	जमाल अहमद नदवी	27
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	28
घरेलू मसायल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	30
रमज़ानुल मुबारक की अहमियत	मौलाना आफ़ताब आलम नदवी ख़ैराबादी	32
बापू के निधन के बाद	इदारा	34
दुआ बराये बैतुल मुकद्दस	अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी नसीराबादी	35
लफ़्ज़ जिहाद के असल मायने	शगुफ़्ता ज़ाकिर	36
बचपन से ही दाँतों की देखभाल	डॉ0 राकेश अग्रवाल	39
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	अबू मोहम्मद आमिर नदवी	40
अहले ख़ैर हज़रात की खिदमत में	इदारा	41

क़ुर्आन की शिक्षा

मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़ई हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-यूनुसः-

अनुवाद—

वे आपसे पूछते हैं कि क्या यह सच है? कह दीजिए हाँ मेरे पालनहार की क़सम यह बिल्कुल सच है और तुम (अल्लाह को) विवश नहीं कर सकते(53) और जिस—जिस व्यक्ति ने अत्याचार किया है अगर उसके पास ज़मीन की सारी (दौलत) हो तो वह फ़िद्ये (मुक्ति धन) में पेश कर दे और वे जब अज़ाब देखेंगे तो भीतर ही भीतर पछताएंगे और इन्साफ़ के साथ उनमें फ़ैसला कर दिया जाएगा और उन पर अत्याचार न होगा(54) याद रखो! जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, याद रखो! अल्लाह ही का वादा सच्चा है लेकिन अधिकतर लोग जानते नहीं(55) वही जिलाता और मारता है और उसी की ओर तुम्हें लौटना है(56) ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से नसीहत और दिलों के रोग की शिफ़ा (आरोग्य) और ईमान वालों के लिए हिदायत और दया आ पहुँची(57) कह दीजिए कि (यह) अल्लाह की कृपा और उसकी रहमत (दया) ही से हुआ तो इससे तुम्हें खुश होना चाहिए, वे जो भी इकट्ठा करते हैं उनमें यह सबसे बेहतर है(58) आप पूछिए कि तुम्हारा क्या ख़्याल है अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रोज़ी उतारी उसमें से तुमने कुछ ह़लाल (वैध) कर लिया और कुछ ह़राम (अवैध) कर लिया, पूछिए कि क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी अनुमति दी या तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ते हो(59) और क़यामत के दिन के बारे में उन लोगों का क्या विचार है जो अल्लाह पर झूठ बांधते रहते हैं बेशक अल्लाह लोगों पर कृपा करने वाला है लेकिन उनमें अधिकतर लोग शुक्र नहीं करते(60) आप जिस हाल में भी होते हैं और कुरआन का जो पाठ आप करते हैं और तुम लोग जो कुछ भी काम करते हो बस जब तुम उसमें व्यस्त होते हो तो तुम पर पूरी नज़र रखते हैं और कण मात्र भी कुछ आपके पालनहार से ओझल नहीं रहता न ज़मीन में न आसमान में और न उससे छोटा और न उससे बड़ा जो खुली किताब में न हो[1](61) याद रखो अल्लाह के दोस्तों पर हरगिज़ न कोई भय होगा और न वे दुःखी होंगे[2](62) वही जो ईमान लाए और परहेज़गार रहे(63) दुनिया के जीवन में भी उनके लिए शुभ समाचार है और आख़िरत में भी, अल्लाह की बातें बदल नहीं सकतीं यही है वह बड़ी सफलता(64) आप उनकी बातों से दुखी न हों इ़ज़्ज़त तो सब की सब केवल अल्लाह ही के लिए है, वह ख़ूब सुनता ख़ूब जानता है(65) याद रखो जो भी आसमानों में है और जो भी ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है और जो अल्लाह के अलावा साझीदारों को पुकारने वाले पीछे लगे हैं वे केवल गुमान के पीछे लगे हैं और केवल अटकलें लगा रहे हैं(66) वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि उसमें सुकून प्राप्त करो और दिन को रौशन बनाया, निश्चित रूप से इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो सुनते हैं(67) वे बोले कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है, वह पवित्र है वह बेनियाज़ (उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं) है

आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है वह उसी का है, इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं, क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात कहते हो जो तुम जानते नहीं(68) कह दीजिए जो अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं (कभी) सफल नहीं हो सकते(69) दुनिया में थोड़ा ही मज़ा है फिर हमारे ही पास लौट कर आना है फिर हम उनको कठोर दण्ड का मज़ा चखाएंगे इसलिए कि वे इनकार ही करते रहते थे[3](70)।

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. इन आयतों में पहले आख़िरत में अपराधियों के पछतावे का वर्णन है फिर पवित्र कुरआन के गुण बयान हुए हैं कि वह पूरा का पूरा रौशनी, हिदायत (मार्गदर्शन) और रोग मुक्ति का साधन है, फिर उन लोगों का वर्णन है जो उससे फ़ायदा नहीं उठाते और भटकते फिरते हैं, उसके बाद अल्लाह के सर्वज्ञान का वर्णन है, मर कर आदमी मिट्टी में मिल जाए लेकिन कण–कण उसके ज्ञान व शक्ति में है, वह दोबारा उसी तरह इन्सान को खड़ा कर देगा जिस तरह उसने पहले पैदा किया।

2. हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के दोस्त कौन हैं? उत्तर दिया कि जिनको देख कर अल्लाह याद आए, उनके गुणों का बयान है कि वे ईमान वाले और परहेज़गार लोग हैं, दुनिया में भी वे सुकून से हैं और आख़िरत में भी, अगर कोई दुर्घटना भी घटित होती है तो सब्र व अल्लाह के फ़ैसले पर सहमति की शक्ति से उसके प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और वे आख़िरत में दोज़ख़ और अज़ाब से पूरे तौर से निर्भय रहेंगे, एक हदीस में आया है कि जो लोग केवल अल्लाह तआला के लिए आपस में मुहब्बत करते हैं अल्लाह तआला उनके चेहरे क़यामत के दिन चौदहवीं के चाँद की तरह रौशन कर देगा, आम लोग भयभीत होंगे लेकिन वे निर्भय होंगे, फिर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयत पढ़ी।

3. और जो अल्लाह के दुश्मन हैं उसके साथ दूसरों को साझी ठहराते हैं उनके पास केवल कथाएं और कहानियाँ हैं, प्रमाणों से वे कोसों दूर हैं, जब वे अल्लाह के यहां उपस्थित होंगे तो उनको अपने इस शिर्क (साझी ठहराने) और इनकार के कारण सख़्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा।

❖❖❖

मुसलमानों के पिछड़ेपन के दो कारण

शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन

शेखुल हिन्द हज़रत मौलाना महमूद हसन जब, मालटा की जेल से रिहाई पा कर स्वदेश आये तो दारूल उलूम देवबन्द में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ उस जलसे में बड़े–बड़े बुज़ुर्ग मौजूद थे, उन्होंने कहा ''हमने तो मालटा की ज़िन्दगी में दो सबक़ सीखे हैं'' यह सुन कर सारे लोगों ने कान लगा दिये, तब उन्होंने कहा– ''मैंने जहाँ तक जेल के एकांत में इस पर ग़ौर किया कि पूरी दुनिया में मुसलमान दीनी और दुनियावी दोनों तौर पर क्यों तबाह हो रहे हैं? तो इसके दो कारण मालूम हुएः एक इनका कुर्आन को छोड़ देना, दूसरे इनके आपस के मतभेद और आपस के झगड़े, इसलिए मैं वहीं से पक्का इरादा ले कर आया हूँ कि अपनी बाक़ी ज़िन्दगी इस काम में लगा दूँ कि कुर्आन करीम के शब्दों और मानी को आम किया जाए और मुसलमानों के आपस के मतभेद और झगड़ों को किसी क़ीमत पर बर्दाश्त न किया जाए।''

(मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी,
वहदते उम्मत पेज 39–40)

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मौ0 हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0

कुर्आन मजीद की फ़ज़ीलतः—

अल्लाह का इरशाद है—

1. यह वह किताब है जिसमें कोई संदेह नहीं, राह बताती है लिहाज रखने (डरने) वालों को। (सूरः बकरः—2)

2. और कुर्आन ठहर—ठहर कर पढ़ा करो।

(सूरः मुज़्ज़म्मिल—4)

3. और जब उन्हें उनकी आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान (अल्लाह पर विश्वास) और बढ़ जाता है।

(सूरः अन्फाल—2)

4. अगर हम यह कुर्आन किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते कि खुदा के डर से दबा और फटा जाता है।

(सूरः अल हश्र—21)

5. और हमने कुर्आन को समझने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है कि सोचे समझे। (सूरः कमर—17)

कुर्आन मजीद क़यामत में सिफारिश करेगाः—

हज़रत अबू उमामा रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमायाः कुर्आन पढ़ा करो, यह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश और अनुशंसा करेगा। (मुस्लिम)

कुर्आन मजीद पढ़ने वाला मोमिनः—

हज़रत अबू मूसा अश्अरी रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया— जो मोमिन कुर्आन पढ़ता है, उसका उदाहरण तुरंज (एक प्रकार का खुशबूदार मीठा नींबू होता है) की तरह है, उसकी खुशबू भी अच्छी और स्वाद भी अच्छा। और जो मोमिन कुर्आन नहीं पढ़ता है उसका उदाहरण खजूर की तरह है कि उसमें खुशबू तो नहीं होती पर स्वाद अच्छा और मीठा होता है। और जो मुनाफिक कुर्आन शरीफ पढ़ता है, उसका उदाहरण रेहान (एक फल) की तरह है कि खुशबू अच्छी स्वाद कड़वा। और जो मुनाफिक कुर्आन नहीं पढ़ता है उसका उदाहरण हन्ज़लः (एक फूल) की तरह है कि स्वाद भी कड़वा और खुशबू भी नहीं।

(बुखारी व मुस्लिम)

रश्क का मौकाः—

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया— रश्क सिर्फ दो मौक़ों पर सही है, एक उस आदमी पर रश्क सही है जिसको अल्लाह ने कलाम पाक का ज्ञान दिया हो और वह उस पर दिन—रात अमल करता हो। दूसरा उस आदमी पर, जिसको अल्लाह ने धन—दौलत दिया हो और वह दिन—रात बेहतर तरीक़े पर अपनी दौलत को खर्च करता हो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

कुर्आन पढ़ना—पढ़ाना और उसका ज़िक्र करनाः—

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया— जो लोग भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब कुर्आन शरीफ की तिलावत करते हैं (पढ़ते हैं) और आपस में एक दूसरे को उसकी शिक्षा—दीक्षा देते हैं तो उन पर सकीनत (शान्ति एवं परितुष्टि) उतरती है और रहमत (अल्लाह की दया और खुशी) उनको ढाँप लेती है। फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और उनका ज़िक्र अल्लाह अपने दरबार में करता है।

(मुस्लिम)

झूटे आदमी से सच्ची बात मालूम हुईः—

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने रमज़ान की ज़कात (सदक़—ए—फित्र) की रक्षा सुरक्षा

मेरे हवाले की। मेरे पास एक आदमी आया और अनाज भर कर ले जाने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा मैं तुझको अल्लाह के रसूल सल्ल0 के पास ले जाऊँगा, और पूरी हदीस बयान बयान की, उस शैतान ने कहा कि जब तुम बिछौने पर सोने के इरादे से लेटो तो ''आयतुल कुर्सी'' पढ़ लिया करो, अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम्हारे लिए एक देख–रेख करने वाला नियुक्त हो जाएगा और सुबह तक शैतान का तुम्हारे पास से गुज़र नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– वह है तो झूटा, मगर बात सच कह रहा है, वह शैतान है।

सूरः बक़रह की आखिरी दो आयतें:–

हज़रत अबू मसऊद बदरी रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– जो आदमी सूरः बकरः की आखिरी दो आयतें रात में पढ़ लिया करे, तो वह उसके लिए काफी हो जाएगी।

(बख़ारी व मुस्लिम)

जहाँ कुर्आन न पढ़ा जाए वह घर कब्रिस्तान है

सूरः बक़रः का महत्वः–

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरः बक़रः पढ़ी जाती है। (मुस्लिम)

मतलब यह है कि तुम मुर्दों की तरह न रहो, जैसे वो पड़े रहते हैं तुम भी पड़े रहो, न ख़ुदा का डर है न ज़िक्र, न इबादत न नमाज़ और न कुर्आन पढ़ रहे हो।

कुर्आन पढ़ने वालों के लिए सिफारिशः–

हज़रत नवास बिन समआन किलाबी रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल0 को फरमाते हुए सुना कि कयामत के दिन कुर्आन मजीद और उस पर अमल करने वालों को लाया जाएगा, सूरः बक़रः और सूरः इमरान आगे–आगे होंगी। अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने इन दोनों सूरतों के तीन उदाहरण दिये हैं, जिनको मैं अभी तक नहीं भूला, आप सल्ल0 ने फरमायाः वो दोनों सूरतें बादल के दो टुकड़े होंगे, या दो घने साये होंगे, उन दोनों के बीच पूरब और पश्चिम की दूरी होगी, या वो चिड़ियों के दो जत्थों के समान होंगे जो एक लाइन से उड़ रहे हों, यह दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी।

(मुस्लिम)

क़यामत में कुर्आन की सिफारिश और वक़ालतः–

हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 से मैंने सुना है कि आप सल्ल0 फरमा रहे थे– कुर्आन पढ़ा करो, वह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का शफीअ (अनुशंसक) बन कर आएगा। ज़हरावैन अर्थात ''अल बकरः और सूरः आले इमरान'' पढ़ा करो, क्योंकि यह दोनों सूरतें क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साये में लिए इस तरह आएंगी जैसे कि वो बादल के दो टुकड़े हैं, या सायेबान हैं, या कतार में चिड़ियों के जत्थे हैं, ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की तरफ से उनके बचाने के लिए वकालत करेंगीं। आप सल्ल0 ने फरमाया– सूरः बकरः पढ़ा करो क्योंकि इसको हासिल करना बड़ी बरकत वाली बात है और इसको छोड़ना बड़ी हसरत और खेद की बात है। और नाफरमान लोग इसकी ताक़त नहीं रखते।

(मुस्लिम)

सूरः कहफ की शुरु की दस आयतें:–

हज़रत अबू दर्दा रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– जिसने सूरः कहफ की शुरु की दस आयतें याद कर लीं, वह दज्जाल के फितने (आज़माइश/परीक्षा) से सुरक्षित रहेगा, और एक हदीस में है कि सूरः कहफ की आख़िरी दस आयतें। (मुस्लिम)

❖❖❖

सम्पादकीय

रोज़ा एक इस्लामी इबादत

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन है जिसकी दावत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ले कर अन्तिम नबी हज़रत मुहममद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक एक लाख चौबीस हज़ार नबियों ने दी, इस्लाम की सत्यता और शुद्धता के लिए इससे बढ़ कर मज़बूत गवाही क्या हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया ''इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है सर्व प्रथम कलम–ए–शहादत का इक़रार यानी अल्लाह को एक जानना और एक मानना और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह का बन्दा और रसूल स्वीकार करना, इसके बाद नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना और रमज़ान के महीने में रोज़े रखना, और ज़िन्दगी में एक बार हज करना''।

इस्लाम एक तम्बू के समान है जिसका केन्द्रीय स्तम्भ कलिम–ए–शहादत है बाक़ी चारों कोनों पर एक एक स्तम्भ नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज का है। प्रत्येक कोना तम्बू के केन्द्रीय स्तम्भ से संबंधित है, हर स्तम्भ अपने स्थान पर आवश्यक है। इसके बिना तम्बू पूर्ण रूप से खड़ा नहीं हो सकता है। इस उदाहरण से आप भली भांति समझ गए होंगे कि इस्लामी इबादात का पूर्ण रूप क्या है? और उसकी वास्तविकता किन कामों पर निर्भर है। इसके बाद हम आपसे विस्तार पूर्वक ''रोज़े' के विषय पर बात करेंगे, हर ईमान वाले पर अपने निश्चित समय पर 24 घण्टे में पाँच बार नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है इसी प्रकार ज़कात कुछ शर्तों के साथ साल में एक बार देना अनिवार्य है। इस्लामी इबादात का अन्तिम रुक्न मालदार मुसलमानों पर ज़िन्दगी में केवल एक बार हज बैतुल्लाह करना अनिवार्य है परन्तु ''रोज़ा'' हर मुसलमान के लिए साल में एक बार रमज़ान के महीने में ज़रूरी है। रोज़ा क्या है? फ़ज्र के वक़्त से सूरज के डूबने तक अपने को खाने पीने और स्त्री संभोग से अपने को सुरक्षित रखना, इसके अलावा छोटे बड़े गुनाहों से अपने को बचाना, गोया शरीर का एक एक अंग रोज़े का पाबन्द है। जो व्यक्ति बिना किसी मजबूरी और बीमारी के रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दे वह अगर इसके बदले सारी उम्र भी रोज़ा रखे तो भी उसका पूरा हक़ अदा न हो सकेगा।

रोज़े में चूंकि इबादत की नियत से खाने पीने और कामुकता से अपने मन को रोका जाता है और अल्लाह के वास्ते अपनी इच्छाओं और लज़्ज़तों को क़ुरबान किया जाता है इसलिए अल्लाह ने उसका सवाब भी बहुत ज़ियादा और सबसे निराला रखा है। एक हदीस में है कि:–

''बन्दों के सारे अच्छे आमाल के बदले का एक क़ानून बना हुआ है और हर अमल का सवाब उसी हिसाब से दिया जाता है परन्तु रोज़ा इस क़ानून से अलग है, उसके बारे में अल्लाह तआला का इरशाद है कि बन्दा रोज़े में मेरे लिए खाना पीना और अपनी कामुकता को क़ुरबान करता है, इसलिए रोज़े का बदला बन्दे को मैं ख़ुद दूँगा।

एक दूसरी हदीस में है कि:–

''जो व्यक्ति पूरे ईमान और यक़ीन के साथ अल्लाह तआला की रज़ामन्दी हासिल करने के लिए और उससे सवाब लेने के लिए रमज़ान के रोज़े रखे तो उसके पहले सब गुनाह मॉफ़ कर दिये जाएंगे''।

एक दूसरी हदीस में है कि:–

''रोज़े के लिए फ़रहत (आनन्द) के दो ख़ास मौक़े हैं, एक ख़ास फ़रहत रोज़ा खोलने के समय इस दुनिया ही में मिलती है और दूसरी फ़रहत

आख़िरत में अल्लाह के सामने हाज़िर होने और अल्लाह के दरबार में स्थान पाने के समय हासिल होगी।''

एक और हदीस में आया हैः–

''रोज़ा दोज़ख़ की आग से बचाने वाली ढाल है और एक मज़बूत क़िला है जो दोज़ख़ के अज़ाब से रोज़ेदार को सुरक्षित रखेगा''। एक और हदीस में आया है– ''रोज़ेदार के लिए ख़ुद रोज़ा अल्लाह तआला से सिफ़ारिश करेगा कि मेरी वजह से इस बन्दे ने दिन को खाना पानी और मन की इच्छा को पूरा करना छोड़ दिया था इसलिए मॉफ़ कर दिया जाये और इसको पूरा बदला दिया जाये तो अल्लाह तआला रोज़े की यह सिफ़ारिश कबूल कर लेगा।''

इन हदीसों में रोज़े की जो फजीलतें (श्रेष्ठता) बताई गई हैं, इनके अलावा एक बड़ी विशेषता यह है कि रोज़ा इन्सानों को दूसरे जानवरों से अलग करता है, जब दिल चाहा खा लिया जब मन में आया पी लिया, जब कामुकता उठी अपने जोड़े से अपनी इच्छा पूरी कर ली, यह विशेषता जानवारों की है, और न कभी खाना न कभी पीना, न कभी अपने जोड़े से लज़्ज़त हासिल करना, यह शान फ़रिश्तों की है। रोज़ा रख कर आदमी दूसरे हैवानों (जीव धारियों) से अलग और बड़ा होता है और फरिश्तों से उसको एक प्रकार की मुनास्बत (समता) हो जाती है।

रोज़े का एक ख़ास फ़ायदा यह है कि इससे आदमी में तक़्वा (अल्लाह का डर) और परहेज़गारी और सदाचारी की सिफ़त पैदा हो जाती है और अपने मन की इच्छाओं को काबू में रखने की ताक़त आती है और अल्लाह के हुक्म के सामने मन की इच्छा और चाहत को दबाने की आदत पड़ती है और रूह (आत्मा) की तरक़्क़ी और उसका सुधार होता है, परन्तु यह सब बातें उसी समय हासिल हो सकती हैं जब रोज़ा रखने वाला ख़ुद भी इनके हासिल करने का इरादा रखे और रोज़े में उन सभी बातों का ध्यान रहे जो रसूलुल्लाह सल्ल0 ने बताई हैं यानी खाने पीने के अलावा सब छोटे बड़े गुनाहों से बचे, न झूठ बोले न ग़ीबत करे न किसी से लड़े। ख़ुलासा यह है कि रोज़े की हालत में सभी खुले और छिपे गुनाहों से पूरी तरह बचे जैसा कि हदीसों में इस पर ज़ोर दिया गया है।

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः–

''जब तुममें से किसी के रोज़े का दिन हो तो चाहिए कि कोई गन्दी और बुरी बात उसकी ज़बान से न निकले और फुजूल बात भी न करे और अगर कोई आदमी उससे झगड़ा करे उसको गाली दे तो उससे केवल इतना कह दे कि मैं रोज़े से हूँ (इसलिए तुम्हारी गालियों के जबाब में मैं गाली नहीं दे सकता)।''

एक और हदीस में हैः– हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः– ''जो आदमी रोज़े में भी बुरी बातों का कहना और उनका करना न छोड़े तो अल्लाह को उसका खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत और कोई परवाह नहीं।''

एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः–

''कितने ही ऐसे रोज़ेदार होते हैं जो रोज़े में बुरी बातों और बुरे कामों से नहीं बचते और उसकी वजह से उनके रोज़े का हासिल भूक–प्यास के सिवा कुछ भी नहीं होता।''

उन विशेषताओं के अनुकूल जिनको ऊपर बयान किया गया यदि कोई इन्सान पूरे महीने रोज़ा रखता है तो वह गुनाहों से पाक साफ़ एक निखरा हुआ इन्सान बन जाएगा और इसका फ़ायदा पूरे साल वह महसूस करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमान के मुताबिक़ वह इन्सान बड़ा बदक़िस्मत और बदनसीब है जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख़शिश और मग़फ़िरत का सामान न कर सका।

❖❖❖

रमज़ानुल मुबारक एक बड़ी दीनी दौलत

हज़रत मौ0 सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

रमज़ान का महीना मुसलमानों की ऐसी दीनी दौलत है जिससे उनको अनेकों प्रकार के फायदे हासिल होते हैं, इबादत की अदायगी के साथ–साथ मुसलमानों की सामाजिक ज़िन्दगी के विभिन्न भागों में सुधार और उद्धार के काम होते हैं आपस की हमदर्दी, ग़म ख़ुवारी, मदद करने का अच्छा मौक़ा होता है, रमज़ान के ज़माने को उचित ढंग से गुज़ारने के बाद एक मुसलमान इबादत की शानदार अदायगी के साथ लापरवाही, इन्सानी वैमनस्य और दुर्वव्यवहार की कैफ़ियत से पाक हो कर निकल सकता है, रोज़ेदार को एक माह तक उन तमाम बातों से परहेज़ करना होता है जो इन्सान के नफ़्स को मोटा और उसकी तबीअ़त को अच्छे इन्सानी अख़लाक़ से दूर करती हैं उसको एक ओर अपने परवरदिगार के सामने बन्दगी की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का भरपूर मौक़ा मिलता है, दूसरी ओर अपनी इन्सानी बिरादरी के साथ हमदर्दी और दिलदारी का हक़ भी अदा करना होता है, बन्दगी की भावना से इबादत करने के साथ अपने परवरदिगार के हुक्म के सामने अपनी राहत और मरज़ी को कुरबान करना होता है, इस कुरबानी में नफ़्स की भी कुरबानी होती है और शरीर की भी कुरबानी होती है, और रोज़ के काम भी प्रभावित होते हैं, खाने पीने के वक़्फ़ों को लम्बा कर दिया जाता है और उनके वक़्त में तबदीली कर दी जाती है वह जिस वक़्त खाना खाता था उस वक़्त उसको रोक दिया जाता है। रमज़ान शरीफ़ का यह पूरा महीना एक बंधे हुए प्रोग्राम के मुताबिक चलता है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि इन्सान इसका आदी हो जाए कि वह अल्लाह के आदेश के अनुकूल ज़िन्दगी गुज़ारे, इस तरह रोज़ेदार को अपने परवरदिगार के हुक्म पर भूका प्यासा रहना होता है और फिर उसी के हुक्म से खाना पीना इख़्तियार करना होता है, रोज़े की यह पाबन्दियाँ विशेष प्रकार की पाबन्दियाँ हैं जो दूसरे धर्मों में नहीं मिलतीं, इस्लाम में इस तरह की पाबन्दी केवल खाने पीने तक सीमित नहीं बल्कि उनके दायरे को आपस की हमदर्दी, भाई चारा और ज़रूरतमन्दों की मदद तक फैला दिया गया है, भूक प्यास के दायरे से बढ़ा करके ख़्वाहिशे नफ़्स व नफ़्सानियत के दायरे तक फैला दिया गया है, दूसरों की बुराइयों और कमज़ोरियों का ज़िक्र, झूट और ग़लत बात का मुँह से निकालना, नफ़्सानियत के काम करना बहुत बुरे अमल क़रार दिये गये हैं इसी के साथ साथ ज़रूरतमन्दों की फ़िक्र करना, भूकों को खाना खिलाना और अपने माल को दूसरे की मदद में खर्च करना वह अच्छे काम हैं जिनकी इस महीने में बहुत ताक़ीद की गई है। ◆◇◆

पिछले अंक से आगे

इस्लामी अक़ीदे (विश्वास)

मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी

रसूलों पर ईमानः–

रिसालत के मायने भेजने के हैं और इस्लामी परिभाषा में रिसालत पैगंबरों के भेजने को कहते हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि पैगंबरों को आसमान से उतारा गया है, अल्लाह की व्यवस्था ये रही है कि उसने इंसानों ही में से किसी किसी को इस काम के लिए चुना है और आमतौर पर जिस क़ौम की सुधार का मक़सद होता, उसी कौम में से किसी को चुना और नबुव्वत प्रदान की, कुरआन मजीद में इसका जगह जगह जिक्र मिलता है, अल्लाह तआला ने नबी का चुनाव उसी कौम में से फरमाया जिस कौम में नबी को भेजना था।

हर ज़माने में और हर कौम में नबी आये, अल्लाह ने फरमाया –

अनुवादः– ***"और कोई कौम ऐसी नहीं है जिस में खबरदार करने वाला न गुज़रा हो। (अल–फातिरः 24)***

हज़रत आदम (अलै०) और हज़रत नूह (अलै०) से ये सिलसिला चला और चलता रहा यहां तक कि अल्लाह तआ़ला ने आखिरी पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को भेज दिया, इन सारे पैगंबरों के सिलसिले में ये अकीदा रखना ज़रूरी है कि ये सब अल्लाह के भेजे हुए बंदे थे जिनको अल्लाह ने चुना और अपना पसंदीदा बनाया, ये सब मासूम हैं और वही करते और कहते हैं जो इनको अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलता है, ये हुक्म उनके पास आम तौर से फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम के ज़रिये से आते हैं और बहुत सी बातें अल्लाह तआला सीधे तौर पर उनके दिल में डाल देता है या उनको ख़्वाब के जरिये बता देता है, इन में से कई एक रसूलों का जिक्र अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में किया है उन सब को नबी रसूल मानना ज़रूरी है, जो उनको रसूल न माने वो मुसलमान नहीं, उन में पाँच ऊलूल अज़्म (बहुत बड़े) पैगंबर हैंः–

(1) हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
(2) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
(3) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
(4) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
(5) सय्यदना हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।

सूरह बकरह के आखिर में अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और ईमान वालों के बारे में कहा जा रहा हैः–

अनुवाद– ***"जो कुछ रसूल पर उनके रब की तरफ से उतारा गया रसूल भी उस पर ईमान ले आये और मुसलमान भी, सब के सब अल्लाह पर ईमान लाए और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, हम उसके रसूलों में (ईमान के एतेबार से) फर्क नहीं करते और उन्हों ने कहा हमने सुना और फरमाँबरदारी की, ऐ हमारे रब हम तेरी मगफिरत चाहते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है।"***

(अल–बकरहः 285)

इस में बात साफ़ कर दी गई कि ईमान लाने के सिलसिले में किसी भी नबी या रसूल के बारे में कोई फर्क नहीं होगा, सारे नबियों और रसूलों

पर ईमान लाना ईमान की शर्तों में से है, हाँ उनमें मरतबों का फर्क है, अल्लाह ने उन में कुछ को कुछ पर बड़ी फजीलत आता फरमाई है, अल्लाह का इरशाद हैः–

अनुवाद– ***''ये वो रसूल हैं जिनमें कुछ को हमने कुछ पर फजीलत दी, उन में वो भी हैं जिन से अल्लाह ने बातें कीं और कुछ के दर्जे बढ़ाए।''***

(अल–बकरहः 253)

रिसालत का अकीदाः–

रसूलों में आख़िरी रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिनकी उम्मत में हम को पैदा किया गया है सब नबियों के सरदार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत पूरी दुनिया के लिए और क़यामत तक के लिए है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अल्लाह की वह्य का सिलसिला मुकम्मल हो चुका अब किसी पर वह्य नहीं आ सकती, अगर कोई ये दावा करे कि उस पर वह्य आती है या उसका इल्हाम वह्य के दर्जे का है और उसकी पैरवी ज़रूरी है तो वो झूठा और गुमराह करने वाला है।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में निम्नलिखित अक़ीदे रखना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है और ये सब बातें रिसालत के अकीदे में शामिल हैं, इनके बिना रिसालत का अकीदा सही और मुकम्मल नहीं हो सकता।

अल्लाह के बंदे और रसूलः–

(1) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे हैं।

(2) और अल्लाह के रसूल हैं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसको साफ साफ बता दिया और इस की ताकीद की है– ''बेशक मैं अल्लाह का बन्दा और रसूल हूँ, तो तुम मानो और कहो कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं।''

(मुसनद अहमद–397, बुखारी –3261)

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए मेराज के मौके पर अल्लाह तआला ने जो लफ़्ज़ इस्तेमाल फरमाया, वो ''अब्द'' (बंदा) का है, इरशाद होता है– ***''वो जात पाक है, जो रातों रात ले गई अपने बंदे को मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़्सा की तरफ़।***

(बनी इस्राईल–1)

इसके अलावा भी कई एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए कुरआन मजीद में ''अब्द'' (बंदा) का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ, एक जगह इरशाद हुआ– ***''फिर अल्लाह ने अपने बंदे पर जो वह्य करनी थी वो उसने की।''***

(अल–नज्मः19)

दूसरी जगह इरशाद है– ***''और ये कि जब अल्लाह का बंदा खड़ा हो कर उसको पुकारता है तो वो उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गये।''***

(अल–जिन्नः19)

एक जगह इरशाद है– ***''और अगर तुम उस चीज़ के बारे में जरा भी शुब्हे में हो जिसको हम ने अपने बंदे पर उतारा है।''***

(अल–बकरहः 23)

रसूल से पहले बंदे का जिक्र खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसलिए फरमाया कि बंदगी जितनी मुकम्मल होगी इंसान उतना ही मुकम्मल होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बंदगी का जो कमाल हासिल था वो किसी को हासिल न हुआ और न हो सकेगा।

नबियों के सरदारः–

(3) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सारे पैगंबरों के सरदार हैं, सारे रसूलों के सरदार व इमाम है, एक सहीह हदीस में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया–

शेष पृष्ठ ....18..पर

पिछले अंक से आगे

भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की धार्मिक निष्पक्षता

सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान

सामाजिक जीवन के कुछ पहलूः–

अल बैरूनी ने हिन्दुओं के सामाजिक जीवन का विस्तृत विवरण देने में यह आश्चर्यजनक बात लिखी है कि यह लोग बाल नहीं मुंड़ाते, उनकी वास्तविक प्रवृत्ति गर्मी की अधिकता से नंगे रहने की है, बाल इसलिए नहीं मुंड़वाते कि खुला रहने से सिर पर गर्मी न चढ़ जाए। दाढ़ी की रक्षा के लिए उसकी चोटियाँ गूँध लेते हैं, बाल न मुंड़ाने या दाढ़ी की चोटियाँ गूँधने का रिवाज सामान्य रहा होगा। संभव है कि यह दोनों बातें किसी धार्मिक समूह में पायी जाती हों। फिर मालूम नहीं कि किसी समूह के सम्बन्ध में उसने यह लिखा है कि निकम्मे रहने पर गर्व करने के लिए नाखून बढ़ाते रहते हैं इसलिए कि नाखून के साथ मेहनत वाला काम नहीं हो सकता और इसलिए भी कि उससे सिर खुजाने और जूं मारने में आसानी रहती है। आज यह पता लगाना कठिन है कि कौन सा समूह निकम्मा रहना पसंद करता था, जिसके लिए वह नाखून बढ़ा लिया करते थे।

हिन्दुओं के खान–पान के नियमः–

हिन्दुओं के खाने–पीने के आचरण के सम्बन्ध में भी इसमें जानकारियाँ हैं। लिखता है कि ''हिन्दू गोबर के दस्तरख़्वान पर अकेले बैठ कर खाते हैं'' गोबर के दस्तरख्वान से तात्पर्य शायद चौके की गोबर से लिपाई हो, जो अब तक कहीं–कहीं होती रहती है। इसके बाद वह लिखता है कि जो खाना बच जाता है उसको दूसरी बार प्रयोग नहीं करते और जिस बर्तन में खाते हैं, यदि वह मिट्टी का हो तो उसको फेंक देते हैं। यह आदत तो अब तक जारी है, पान खाने की आदत भी हिन्दुस्तान में बहुत पुरानी है इसलिए लिखता है कि पान चूना के साथ खा कर और सुपारी चबा कर दातों को लाल करते हैं। इसके बाद अल बैरूनी लिखता है, सुबह कुछ खाने से पहले शराब पीते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। गाय का पेशाब थोड़ा–थोड़ा पीते हैं, उसका माँस नहीं खाते। गाय का पेशाब पीने का तो सामन्य रिवाज न रहा हो, कुछ धार्मिक रीतियों के अवसर पर पिया जाता हो। जिगर के मरीज़ भी इसको दवा के रूप में अधिकतर प्रयोग करते हैं।

हिन्दुओं का पहनावाः–

पहनावे के बारे में लिखता है, ''पगड़ी को धोती बनाते हैं, जो व्यक्ति कपड़े कम पहनता है वह दो अंगुल की लंगोट पर ही संतोष कर लेता है, जिसको वह दो धागों से अपनी कमर पर बाँध लेता है। इस आखिरी टुकड़े से लंगोटी की ओर इशारा है जो कहीं कहीं अब तक प्रयोग होती है। इसके बाद जिस पहनावे का विवरण है, उसकी क़िस्म समझ में नहीं आती क्योंकि ऐसा पहनावा अब किसी वर्ग में दिखाई नहीं देता, या संभवताः उस ज़माने में ठण्डे पहाड़ी क्षेत्रों में पहना जाता हो। रूई के कोट तो अभी तक पहने जाते हैं। अल बैरूनी लिखता है, ''जो अधिक कपड़े का प्रयोग करता है वह ऐसा लहंगा पहनता है जिसमें इतनी रूई भरी रहती है जो कई रज़ाईयों के लिए पर्याप्त हो। फिर वह ऐसा झोल पहनता जिसके चाक ऐसे बन्द होते हैं कि उनसे दोनों पैर बाहर नहीं निक़लते और उनकी घुण्डी पीछे की ओर

होती है। इसके बाद जिन कपड़ों का उल्लेख है वह स्पष्ट हैं, वह सदरी, पायजामा से अधिक समतुल्य होते हैं। उनका बन्धन घुण्डियों के साथ पीठ की ओर होता है। कुर्ते के दामन में दायें और बायें चाक रखते हैं। जूता इतना छोटा होता है कि उसकी पिण्डलियों की ओर से मोड़ कर पैर की तरफ़ पहना जाता है। इसके बाद लिखा है कि मर्द औरतों जैसा कपड़ा पहनते हैं, रंगों का प्रयोग करते हैं, कान में बाली, हाथों में कंगन, उंगलियों और पाँव की उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ पहनते हैं। औरतों जैसा पहनावा से तात्पर्य रंगीन धोतियाँ हों, मर्दों का बाली और कंगन पहनना तो कुछ जगहों पर संभवतः 19वीं सदी तक जारी रहा और अब भी कहीं–कहीं पहने जाते हैं। हाथों की उंगलियों में अंगूठियाँ तो अब भी पहनी जाती हैं। हाँ, पैर की उंगलियों में अब मर्द अंगूठियाँ नहीं पहनते।

हिन्दू औरतों का महत्वः–

अल बैरूनी के इस कथन से कि ''मर्द औरतों से रखरखाव और जो मसले सामने आ जाते हैं, उमसें परामर्श लेते हैं। इससे पता चलता है कि उस ज़माने में भी समाज में औरतों का काफ़ी महत्व था। लेकिन अल बैरूनी की यह बात विश्वास के योग्य नहीं है कि दो बेटों में छोटे को वरीयता देते हैं, विशेष रूप से पूरब के क्षेत्र में। यह समझ कर कि बड़ा लड़का बाप की बढ़ी हुई कामवासना से पैदा होता है और छोटे का अस्तित्व इरादे, चिन्तन और सन्तुष्टि से होता है। क्योंकि हिन्दुस्तान की परिवार आदि में आरम्भ से अब तक बड़े लड़के का ही महत्व अधिक रहा है और राज परिवारों में वही उत्ताधिकारी समझा जाता है।

समाज के छोटे–छोटे मामलेः–

अल बैरूनी का निरीक्षण बड़ा गहरा था। वह छोटी–छोटी बातों पर भी ध्यान देता था। अतः लिखता है कि हिन्दू हाथ मिलाने में हाथ को हथेली के दूसरी ओर से पकड़ते हैं। घर के अन्दर आने के लिए अनुमति नहीं माँगते लेकिन बाहर अनुमति के बिना नहीं जाते। सभाओं में पालती मार कर बैठते हैं। बड़ों के सम्मान के बिना थूक फेंकते रहते हैं। उनके सामने जूँ मारते रहते हैं,.. ....। छींक को मनहूस समझते हैं, बुनकर को अपवित्र समझते हैं, लेकिन नाई को और उस व्यक्ति को जो मरते हुए जानवरों को मजदूरी लेकर डुबा कर या जला कर मार डालता है उसे पवित्र समझते हैं। इस अनुच्छेद में बुनकर को अपवित्र समझने की रिवायतें कुछ संदिग्ध प्रतीत होती हैं।

लिखने पढ़ने के आरम्भिक तरीक़ेः–

लड़के उस ज़माने में तख्ती पर जिस तरह लिखते थे, उसका रिवाज अब तक जारी है, अल बैरूनी दिलचस्प ढंग से लिखता है कि लड़कों के लिए स्कूल की तख़्तियों को काले रंग से रंगवाते हैं। इसकी चौड़ाई में नहीं बल्कि लम्बाई में सफ़ेदी से बाईं ओर से दाईं ओर लिखवाते हैं अर्थात निम्नलिखित कविता के कवि में इन्हीं के बारे में कहा हैः **अनुवादः** कोई लिखने वाला ऐसा भी है जिसका काग़ज़ कोयले की तरह काला है उसमें उसका क़लम सफेदी से लिखता है अर्थात वह रात में उजाले दिन को लिखता है, वह उसको तानता है बुनता नहीं है।

अल बैरूनी का यह कथन भी वर्तमान व्यवहार से कुछ भिन्न है।

किताब का नाम अन्त में समापन पर लिखते हैं, किताब के आरम्भ में नहीं लिखते, अपनी भाषा की संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाकर उसमें महानता पैदा करते हैं जिस तरह अरब के लोग महानता पैदा करने के लिए मसदर या धातु शब्दों के छोटेपन का भाव देने बनाने वाले जो व्युत्पन्न होते हैं उनके द्वारा महानता पैदा करते हैं।

.....जारी.....

❖❖❖

कामन सिविल कोड हिन्दुस्तानी अवाम के लिए अस्वीकार क्यों?

डॉ0 मंजूर आलम

भारत में शुरु से अलग अलग संस्कृतियों रीति–रिवाज और अलग अलग धर्मों के मानने वाले मौजूद हैं, जो अपने रीति रिवाज और प्रर्सनल लॉ के मुताबिक समाजी ज़िन्दगी गुज़ारते आये हैं, यह एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क भी है लेकिन यहाँ सेकुलरिज़्म का मतलब यूरोप से अलग है यूरोप में सेकुलरिज़्म का मतलब दीन और मज़हब से दूरी और किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखना समझा जाता है लेकिन हिन्दुस्तान में सेकुलरिज़्म का मतलब है कि हुकूमत का कोई मज़हब नहीं होगा, सरकार किसी एक धर्म व मजहब की वकालत नहीं करेगी और देश की पहचान किसी धर्म विशेष के तौर पर नहीं होगी, लेकिन तमाम नागरिकों को उनके अपने धर्म व मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल मजहबी आज़ादी की इजाज़त होगी, इसलिए यूरोप और अमेरिका के कामन सिविल कोड का तसव्वुर यहाँ मुम्किन नहीं है, यूरोपीय देशों में कामन सिविल कोड पाया जाता है जिसके अंतर्गत शादी, निकाह, तलाक़ वरासत जैसे नियम क़ानून सभी के लिए एक समान हैं, लेकिन हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्म, ज़ात, और क़बायल के लोग आबाद हैं, हर एक का पर्सनल लॉ दूसरे से भिन्न है, सिखों की शादी, वरासत और दूसरे नियम क़ानून अपने मजहब के मुताबिक है, ईसाइयों का पर्सनल लॉ अलग, बुद्धिष्टों का अलग, मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है हिन्दू समाज में भी अलग अलग रीति रिवाज का प्रचलन है, आदिवासियों की संस्कृति और प्रथा अलग है, इसीलिए विश्व में यह बात मशहूर है कि हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग संस्कृति, परम्परा, और धर्म के अनुयायी पाये जाते हैं, इस स्थिति में अगर सभी को किसी एक रीति रिवाज, नियम, संस्कृति और धर्म का पाबन्द बनाया गया तो टकराव, आपसी मनमुटाव व अशांति बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी समाज अपनी तहजीब एवं संस्कृति और अपने पर्सनल लॉ से समझौता नहीं कर सकता है, हिन्दुस्तान की खूबसूरती भी इसी में है कि सभी धर्मों को अपने पर्सनल लॉ, अपनी तहजीब व संस्कृति और मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी हो, इसी में मूल हिन्दुस्तान का अस्तित्व और धार्मिक आज़ादी के साथ–साथ संविधान का पालन भी है, तजुर्बा भी यही बताता है कि हिन्दुस्तान के अवाम अपने पर्सनल लॉ और अपनी रीति रिवाज ही को वरीयता देते हैं, जिसका एक स्पष्ट उदाहरण विशेष विवाह अधिनियम में लोगों की रुचि की कमी है हमारे संविधान में विशेष विवाह अधिनियम मौजूद है जिसका मतलब है कि अगर किसी को अपने मज़हब के मुताबिक शादी नहीं करनी है तो वह विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी कर सकता है लेकिन आम तौर पर लोग इसको नहीं अपनाते हैं जो इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग कामन सिविल कोड के खिलाफ़ हैं।

हिन्दुस्तान में कामन सिविल कोड का स्पष्ट मतलब यही है कि इस मुल्क में मुसलमानों को अपने पर्सनल लॉ के विरुद्ध निकाह, तलाक़, वरासत, वसीयत जैसे मुआमलात अंजाम देने होंगे, इसी प्रकार दूसरे धर्म के अनुयायियों को भी अपने धार्मिक रीति रिवाज को छोड़ना होगा, और नये नियमों का

पालन करना होगा, क्योंकि कामन सिविल कोड स्पष्ट तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ से हट कर अलग क़ानून है जिसके लागू होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ की कोई गुंजाइश बाक़ी नहीं रहेगी, सिविल कोड के मुआमले में मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह किसी और क़ानून पर चलने के लिए कहना या मजबूर करना इस्लामी शिक्षा पर अमल करने से रोकने और वास्तविक मुसलमान बनने से वंचित करना है, इसकी वजह से मुसलमानों को अपने मज़हबी आदेशों का उल्लंघन करना पड़ेगा, और निकाह, तलाक़, वरासत, वसीयत और इस तरह के दूसरे बहुत से मसायल में मुसलमानों को अपने मज़हब पर अमल करने का अवसर नहीं मिलेगा जिसकी बुनियाद पर उनका ज़मीर उन्हें हमेशा मलामत करेगा, और इस क़ानून की वजह से वह हराम व गुनाह के दोषी होंगे, और मुसलामनों की अपनी क़ौमी व मिल्ली पहचान समाप्त हो जायेगी और मुसलमान होना सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा।

मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी उचित कारण से अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक़ दोनों के मध्य रिश्ता समाप्त हो जायेगा और किसी प्रकार का संबंध क़ायम रखने की इज़ाज़त नहीं होगी, लेकिन कामन सिविल कोड के मुताबिक़ कोर्ट की इजाज़त के बग़ैर तलाक़ का कोई एतिबार नहीं होगा, इसलिए बीवी बरकरार रहेगी, उसके बाद फिर दबाव डाला जायेगा कि वह औरत से वैवाहिक संबंध क़ायम रखे। अब यहीं पर विरोधाभाष सामने आयेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक वह औरत हराम हो चुकी है और रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अगर कोई औलाद पैदा होती है तो वह नाजायज़ होगी लेकिन कामन सिविल कोड के मुताबिक संबंध बाकी रहेगा, नतीजतन मुसलमान हराम काम करने का दोषी होगा, शारीरिक संबंध ''ज़िना'' (व्यभिचार) समझा जायेगा और इस्लामी शरीयत की नज़र में वह गुनहगार और मुज्रिम होगा। जो औलाद होगी वह भी नाजायज़ समझी जायेगी, लेकिन कामन सिविल कोड के मुताबिक यह नाजायज़ औलाद जायज़, और वरासत की भी हक़दार होगी, जबकि इस्लामी क़ानून के मुताबिक नाजायज़ औलाद वरासत में हक़दार नहीं हो सकती है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस्लाम कबूल कर ले, या कोई मुसलमान अपना धर्म छोड़ कर ''मुरतद'' हो जाये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक़ उनकी बीवियाँ उनके लिए हलाल व जायज़ बाकी नहीं रहती, और न यह एक दूसरे के वारिस हो सकते हैं, लेकिन कामन सिविल कोड यह कहेगा कि धर्म परिवर्तन से वरासत के हक़ पर कोई असर नहीं पड़ता, और न ही वैवाहिक संबंध में कोई रुकावट पैदा होगी, इस प्रकार एक व्यक्ति को इस्लाम कबूल करने के बाद भी अपनी पूर्व पत्नी से वैवाहिक संबंध रखने के लिए मजबूर किया जाएगा, इसी प्रकार मुसलमान औरत को अपने ''मुरतद'' धर्म छोड़ कर जाने वाले शौहर के साथ ज़िन्दगी बसर करने पर मजबूर किया जायेगा, जबकि इस्लाम धर्म को छोड़ने के कारण इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ शरीयत की नज़र में वैवाहिक रिश्ता समाप्त हो चुका होगा।

उपरोक्त बातों से यह बात स्पष्ट होती है और यह अहम प्रश्न उठता है कि जब अम्न व शांति, देश की खूबसूरती और राष्ट्रीय एकता विभिन्न सभ्यताओं और रीति–रिवाज़ के अस्तित्व में ही है तो फिर बार बार कामन सिविल कोड का शोशा क्यों छेड़ा जाता है, क्यों कहा जाता है कि कामन सिविल कोड लाया जायेगा। इस प्रकार की बयानबाजी हाल के दिनों में पहली बार नहीं हो रही है बल्कि

ब्रिटिश शासन में भी यह बात सामने आई थी लेकिन जनता ने सख्त विरोध प्रदर्शन किया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत को यह बात समझ में आ गई कि हिन्दुस्तान की एकता सभी धर्मों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता देने में ही है, उसी ज़माने में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट भी सामने आया जो 1937 ई0 में लागू हुआ, उस एक्ट में स्पष्ट तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की निशानदही की गई कि मुसलमानों के पारिवारिक समस्याओं का हल मुस्लिम पर्सनल लॉ की रोशनी में होगा, आज़ादी के बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ को बाकी रखा गया। इस दौरान हिन्दू रीति रिवाज़ में कई प्रकार की तब्दीली की गयी, और समाज में भी कई प्रकार के सुधार के कार्य किये गये, 1954 ई0 में हिन्दू कोड बिल पेश किया गया जिसमें हिन्दू समाज में प्रचलित परम्पराओं में सुधार करके शादी, तलाक़, वरासत और इस प्रकार के अन्य मुद्दों के लिए एक क़ानून बनाया गया जिस पर आज अमल हो रहा है। कामन सिविल कोड तो संविधान के भी खिलाफ है और हिन्दुस्तानी समाज के भी खिलाफ़ है, इससे कोई भी फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुक़सान की आशंका है।

(लेखक ऑल इण्डिया मिल्ली कौंसिल के जनरल सेक्रेट्री हैं)।

❖❖❖

पृष्ठ .....13... का शेष

''मैं क़यामत के दिन सारे इंसानों का सरदार हूँ और सब से पहले क़ब्र से मुझे ही निकाला जाएगा और सबसे पहले सिफारिश करने वाला मैं हूँगा और सब से पहले मेरी ही सिफ़ारिश कुबूल होगी।''

(सहीह अल–बुखारीः 79)

एक रिवायत में इरशाद हैः– मैं क़यामत के दिन तमाम लोगों का सरदार हूँगा।

(मुस्लिम– 501),

कंजुल उम्माल की रिवायत में ये अल्फाज भी मिलते हैं– ''मैं क़यामत के दिन तमाम नबियों का सरदार हूँगा।''

(कंजुल उम्माल 32043)

सबसे बढ़ कर अल्लाह के महबूबः–

(4) सारे जहानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह को सबसे बढ़ कर महबूब हैं, किसी को भी ये मुहब्बत वाला मकाम हासिल नहीं जो अल्लाह ने आप को आता फरमाया है, हदीस में आया हैः एक बार हजराते अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की अलग अलग पहचान वाली सिफतों का जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आखिर में फरमाया– ''और मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे ही पास होगा, और मैं ही सब से पहले सिफारिश करूँगा, और मेरी सिफारिश ही सब से पहले कुबूल होगी, और मैं ही सब से पहले जन्नत का दरवाजा खोल वाऊँगा, तो वो मेरे लिए खोला जाएगा, तो मैं उस में दाखिल हूँगा, और मेरे साथ गरीब ईमान वाले दाख़िल होंगे, और मुझे ही अव्वलीन व आख़िरीन में सब से बढ़ कर इज़्ज़त मिली है, और मैं ये सब फख्र के तौर पर नहीं कहता बल्कि ये एक हक़ीक़त का इज़हार है।''

'(तिर्मिजी– 3976)

खास मुहब्बत के मकाम के साथ अल्लाह ने आप को खलील (जिगरी दोस्त) के मकाम से भी नवाजा, एक हदीस में आता है– ''(जिस तरह अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया उसी तरह मुझे भी खलील बनाया।

(मुस्लिम–1216)

इस तरह अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़लील होने का मकाम आता फरमाया, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आता किया गया था, और इसके साथ खास मुहब्बत का वो मकाम भी दिया जो आप की अलग शान है।

❖❖❖

रोज़े की अहमियत (महत्व)

मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी रह0

कुर्आने मजीद की अनेकों आयात और बेशुमार अहादीसे नबवीया से रोज़े की न सिर्फ अहमियत और फ़जीलत मालूम होती है, बल्कि इस का शुमार उन फर्ज़ इबादात में होता है जिन पर ईमान व इस्लाम की बुन्याद है। कुर्आने पाक में है कि–

अनुवादः ***''मुसलमानों! तुम्हारे ऊपर रोज़े उसी तरह फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुम से पहले दूसरी उम्मतों पर फर्ज़ किए गए थे।''***

(अल बकराः 183)

इससे मालूम होता है कि नमाज़ की तरह रोज़े का हुक्म भी अल्लाह तआ़ाला ने दूसरी उम्मतों को दिया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले जितने नबी और रसूल दुन्या में गुज़रे हैं, उन सब ने उस की ताकीद की थी, और उसे फर्ज करार दिया था। अहले किताब के यहां रोज़े का रवाज आज भी बाक़ी है, उनके अलावा मुश्रिक कौमों में व्रत का रवाज भी कुर्आने पाक की इस तारीखी शहादत पर यक़ीन के लिए काफी है, सिर्फ जो फर्क़ है वह रोज़ों की तादाद और वक़्त में है, यह उम्मते मुस्लिमा की खुसूसीयत है कि इस पर पूरे एक महीने के रोज़े फर्ज किए गए हैं, कुर्आन ने ''मिन क़ब्लिकुम'' (तुम से पहले) के लफ़्ज़ से महज एक तारीखी हक़ीकत ही का इज़हार नहीं किया है बल्कि इसमें मुसलमानों के सामने उस की तबई मशक़्क़त (शारीरिक श्रम) को यह बता कर आसान बनाया है कि तुम से पहले अगली उम्मतें भी इस मशक़्क़त को बर्दाश्त कर चुकी हैं, कुर्आने मजीद जो इस दुन्या में अल्लाह की सब से बड़ी नेमत और दौलत है इस का नुजूल इसी मुबारक महीने से शुरुअ़ हुआ।

अनुवादः ***''रमज़ान का महीना वह है जिस में कुर्आन पाक नाज़िल होना शुरुअ़ हुआ।'' (अल बकराः 185)***

इस आयत से यह मालूम होता है कि कुर्आन रोज़े के महीने से नाज़िल होना शुरुअ़ हुआ, कुर्आन पाक ही की दूसरी आयत से यह भी वाज़ेह होता है कि रमज़ान में ही उस मुबारक रात से उस का नुजूल शुरुअ़ हुआ, जिस को लैलतुलक़द्र'' (रमज़ान की एक अत्यन्त शुभ रात) कहा जाता है।

इसके बारे में मुफस्सिरीन के दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है कि वह कौन सी रात थी, किसी ने 25 की रात को उस का मिस्दाक़ करार दिया है, किसी ने 21वीं को मगर चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फरमाया है ''लैलतुलकद्र'' रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में से किसी में पड़ेगी, इस लिए उन्हीं पांच रातों में से किसी में कुर्आने पाक का नुजूल शुरुअ़ हुआ।

कुर्आन पाक की सूरे बकरा कि आयत 183 ''लअ़ल्लकुम तत्तकून'' (ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ) और आयत नं0 185 ''लअ़ल्लकुम तश्कुरून'' (ताकि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ) के जुम्ले पर खत्म होती है ''लअल्लकुम तत्तकून'' का मतलब यह है कि रोज़े से तुम्हारे अन्दर

तक़्वा यानी परहेज़गारी और खुदा का खौफ पैदा होना चाहिए, गोया रोजे की रूह और उसका मक़सद, तक़्वा पैदा करना है, और तक़्वा नाम है ''अल्लाह के खौफ की वजह से अपने जज़्बात और ख्वाहिशाते नफ़्स पर काबू पाने का'' और यह चीज़ रोज़े के जरीए बदर–जए–अतम पूरी होती है, मुशाहदा है कि बुरे से बुरा आदमी भी रोज़े में कुछ न कुछ जरूर संवर जाता है। दूसरी आयत ''लअल्लकुम तश्कुरून'' के कई पहलू हैं और हर पहलू काबिले शुक्र है।

अगली उम्मतों को रोज़े का जो हुक्म दिया गया था उसमें सख्ती का पहलू गालिब था, वह रात में अपनी बीवियों के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन उम्मते मुहम्मदिया को इस की इजाज़त है, अगर कोई मरीज़ है तो वह रोज़े क़जा कर सकता है, हामिला (गर्भवती) और मुरज़िआ (दूध पिलाने वाली) के लिए आसानी है, अगर कोई बहुत ज़ईफ (बूढ़ा) है तो उसके लिए फिद्या है। उसका दूसरा पहलू यह है कि इस महीने में वाकई रोजेदार के दिल में अल्लाह की अज़मत, किबरियाई और शुक्र गुज़ारी का जज़्बा पैदा होता है, हम रोज़ाना खाना खाते हैं और पानी पीते हैं मगर खाने और पानी की जो क़द्र और लज़्ज़त रोज़ा इफ़्तार करते वक़्त रोज़ेदार को मालूम होती है वह दूसरे को नहीं मालूम हो सकती, खाने का एक एक लुक्मा और पानी का एक एक कतरा जब हलक़ के नीचे उतरता है तो यह अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत मालूम होती है कि गोया उससे पहले वह उसकी लज़्ज़त जानता ही नहीं था। अगर ज़रा भी एहसास हो तो उसके लिए आदमी के अन्दर जज़्ब–ए–शुक्र जरूर पैदा होगा, उसी जज्बे का इज्हार रोज़ा इफ़्तार करने की दुआओं में होता है।

अनुवादः ''ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरी दी हुई रोज़ी से इफ़्तार किया, प्यास चली गई और रगें ठन्डी हो गईं और अज्र लिखा जा चुका इन्शा अल्लाह तआला'' फिर उस की शुक्र गुज़ारी का सब से बड़ा पहलू यह भी है कि अल्लाह तआला ने कुर्आन जैसी नेमत इसी महीने में अता की जो हमारी ज़िन्दगी के लिए मजमू–अए–हिदायत भी है और रूहानी ज़िन्दगी के लिए नुस–ख़ए–कीमिया भी है। गरज़ रोज़े से आदमी के अन्दर तक़्वा भी पैदा होता है और जज़्–बए–शुक्र भी और रोज़े की यह सब से बड़ी फज़ीलत है।

कुर्आने पाक के अ़लावा बेशुमार हदीसों में भी रोज़े की बड़ी फज़ीलत आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कुछ हदीसों के तर्जुमे मुलाहजा हों, एक हदीस में है कि अल्लाह तआला ने फरमाया कि ''हर नेकी का सवाब बन्दों के आमाल नामे में दस गुने से सात सौ गुने तक लिखा जाता है लेकिन रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं खुद उस का बदला दूंगा।''

(बुखारी)

इस का मतलब यह है कि जिस तरह अल्लाह की कुदरत की कोई इन्तिहा नहीं है, इसी तरह रोज़े के अज्र की भी कोई मिक़्दार मुकर्रर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज़ियादा पसन्दीदा है।'' और फरमाया ''रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए

एक ढाल है।'' और फरमाया कि ''जिन रोज़ेदारों के रोज़े मक़्बूल हो जाएंगे उनके लिए क़यामत के दिन एक दरवाज़ा होगा जिससे वह जन्नत में दाखिल होंगे उस दरवाज़े का नाम ''रैयान'' है यानी सैराब करने वाला'' और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि ''जब रमज़ान शुरुअ़ होता है तो शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जहन्नम का दरवाज़ा बन्द कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।'' और फरमाया ''रोज़ा क़यामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करेगा, वह कहेगा कि या अल्लाह इस ने मेरी वजह से खाना पीना और अपनी ख्वाहिशे नफ़्स को छोड़ दिया था, तू उसकी मगफिरत फरमा।''

लेकिन यह अज्र व सवाब उस वक़्त मिलेगा, जब रोज़ा मक़्बूल (स्वीकृत) हो और किसी इबादत के मक़्बूल होने के लिए सब से ज़रूरी चीज़ खुलूस (शुद्ध हृदयता) है। यानी वह इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए की गई हो, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें खुलूस दूसरी इबादतों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। एक आदमी अगर चाहे तो छुप कर खा पी सकता है या अपनी ख्वाहिशे नफ़्स (काम इच्छा) पूरी कर सकता है और यह सब करते हुए खुदा के अलावा उसे कोई देख नहीं सकता, मगर इस के बावजूद न तो वह खाता पीता है और न अपनी ख्वाहिशे नफ़्स पूरी करता है तो उसके यह माने हैं कि वह खुदा ही के लिए रोज़ा रखता है। इसी वजह से अल्लाह ने कहा है ''रोज़े का बदला मैं दूंगा''।

लेकिन इस खुलूस के बावजूद बाज़ आमाल ऐसे हैं जो रोज़े के खुलूस को खराब कर देते हैं और रोज़ेदार उस के सवाब से महरूम हो जाता है। रोज़े में लड़ाई, झगड़ा करना, गाली गलोज करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, चुगली करना, हराम माल खाना। जो लोग इन बातों से नहीं बचते उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तर्जुमा : ''जो शख्स गलत काम झूट और गुनाह की बात और गुनाह का काम न छोड़े तो अल्लाह को उसकी ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना पीना छोड़ दे।

(बुखारी)

ग़लत बात और ग़लत अमल में ज़बान और जिस्म का हर बुरा और गलत अमल शामिल है। आप ने एक दूसरे मौक़े पर फरमाया तर्जुमाः ''कितने रोज़ेदार हैं जिन को भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता।''

(मिशकात)

इसी बिना पर आपने फरमाया है कि रोज़े से गुनाह जरूर मुआफ होते हैं, मगर इसके लिए दो शर्तें हैं एक ईमान और दूसरे एहतिसाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः तर्जुमाः ''जिसने रमज़ान में रोज़ा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए गए।'' ईमान तो यह है कि उसको अल्लाह, आखिरत रिसालत वगैरा पर यक़ीन हो और एहतिसाब यह है कि रोज़ा अल्लाह ही के लिए रखा गया हो और उसको तमाम बुराइयों से महफूज़ रखा गया हो। उसमें दिखावा और नमूद व नुमाइश न हो।

ईमान व एहतिसाब की कैद लगा देने से यह भी मालूम हो गया कि जो लोग ईमान और एहतिसाब के बगैर भूखे प्यासे रहते हैं उनका भूखा प्यासा रहना रोज़ा नहीं है इसी बिना पर व्रत (बरत) और भूख हलड़ताल वगैरा को इस्लामी शरीअ़त में रोज़ा नहीं कहा जाएगा। अगर इन तमाम बातों का खयाल कर के आदमी रोज़ा रखे तो जैसा कि कुर्आन में कहा गया है। वाकई आदमी परहेज़गार और मुत्तक़ी बन सकता है और उस का नफ़्स उसके क़ाबू में आ सकता है।

इसी अहमियत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रमज़ान का महीना शुरुअ़ होने से पहले ही और रमज़ान के दरमियान बराबर सहाबा रज़ि0 को रोज़ा मक़बूल बनाने की ताकीद फरमाया करते थे। आपने बार बार फरमाया है कि ''जो शख्स ईमान व एहतिसाब के साथ रोज़ा रखेगा उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे''। मशहूर सहाबी हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शाबान के आखिरी दिनों में सहाबा रज़ि0 के मजमा में एक तकरीर फरमाई जिसमें फरमाया कि ''एक बहुत ही मुबारक महीना तुम्हारे ऊपर साया किए हुए है। इस महीने में एक रात हजार महीनों से ज़्यादा बेहतर है। दिन में उसके रोज़े फर्ज हैं और रात की इबादत में बड़ा सवाब है। इसमें नफ़्ल का सवाब फर्ज़ के बराबर, और फर्ज़ का सवाब सत्तर फर्जों के बराबर मिलता है यह सब्र का महीना है और सब्र का अज्र जन्नत है। यह हमदर्दी (सहानुभूति) और सुलूक (सद्व्यवहार) का महीना है। इसमें मोमिन की रोज़ी ज़्यादा हो जाती है। जो शख्स रोज़ेदार को इफ़्तार करा दे उसको एक रोज़े का सवाब मिलेगा। इस पर सहाबा रज़ि0 ने पूछा, या अल्लाह के रसूल हम में से हर शख्स के पास इतना वाफिर खाना तो नहीं होता कि खुद भी खाएं और किसी को इफ़्तार भी कराएं। आपने फरमाया कि अगर कुछ न हो तो एक खजूर या एक घूंट पानी ही से इफ़्तार करा दो।

गौर कीजिए कि कितने सहाबा रज़ि0 के पास इतना खाना भी न होता था कि वह किसी दूसरे को इफ़्तार करा सकें। मगर उसके बावजूद वह रोज़ा रखते थे। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हाल भी यही रहता था कि आपको कभी कभी रोज़े पर रोज़ा रखना पड़ता था। यानी मुश्किल से पेट भर खाना मुयस्सर होता था।

(बुखारी–मुस्लिम)

रोज़े से बेपरवाहीः–

अफ़सोस है कि इस ज़माने में शरीअ़त के दूसरे अहकाम की तरह रोज़े की तरफ से भी बड़ी बे परवाही पैदा हो गई है। चन्द साल पहले गुनहगार से गुनहगार मुसलमान भी रमज़ान में रोज़ा रख कर पाकीज़ा ज़िन्दगी गुज़ारने की कोशिश करता था और औरतें तो सौ फीसद रोज़ा रखती थीं। मगर अब यह हालत बाक़ी नहीं रह गई है बल्कि बाज़ बे हया तो रोज़े के दिनों में खुले बन्द खाते पीते और सिग्रेट बीड़ी पीते नज़र आते हैं, इनके दिल में ज़र्रा बराबर भी खुदा का खौफ दिखाई नहीं देता। जिस तरह रोज़े का बेहद सवाब है उसी तरह उसके बे उज्र शरई छोड़ने का गुनाह भी बेहद व हिसाब है और रोज़े में बे हयाई से खाने पीने वालों को दुहरा अज़ाब होगा।

❖❖❖

कुर्आन खुदा का पैग़ाम, पैग़ाम ही प्रमाण

(इल्मुल हिसाब में दिलचस्पी रखने वालों के लिए दावती नज़रिए से लिखा गया मज़मून)

इं0 जावेद इक़बाल

जिस व्यक्ति के माध्यम से दुनिया को कुरआन मिला वह एक बे पढ़ा लिखा इंसान था , वह कभी किसी उस्ताद के सामने शागिर्द बन कर नहीं बैठा। वह तो अपना नाम भी लिख–पढ़ नहीं सकता था ।एक बार उसे अपने विरोधियों के साथ संधि करते समय अपने पद सूचक शब्द ''रसूलुल्लाह'' को काटने की जरूरत पड़ी, कोई साथी– सहयोगी इस काम के लिए राजी न हुआ, तब उसने अपने सहयोगियों से कहा कि मेरी उंगली वहां रख दो जहां यह शब्द लिखा हुआ हो , ताकि मैं स्वयं उसे काट सकूं ।

वह व्यक्ति बचपन से ही इतना सच्चा था कि समाज में सादिक (सत्यवादी) की उपाधि से मशहूर था । धरोहर लौटाने में ऐसा विख्यात था कि अधिकतर लोग अपना कीमती सामान धरोहर के रूप में उसी के पास रखते थे और प्रेम से उसे ''अमीन'' कहते थे ।

चालीस वर्ष की आयु में जब (परम परमेश्वर) अल्लाह ने उसे अपना संदेश वाहक नियुक्त किया और जिब्राईल फरिश्ते ने (12 फरवरी सन 610 ई०) को उस के पास आ कर सूचना दी मुहम्मद खुशख़बरी स्वीकार कीजिए आप अल्लाह के रसूल (संदेश वाहक) हैं और मैं जिब्राईल हूं। अब वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था बल्कि अल्लाह का अत्यंत जिम्मेदार रसूल था। जिम्मेदारी के बोझ और भय से मुहम्मद सल्ल० काँपने लगे। उनकी दशा को देख कर और हाल को सुन कर उस समय के एक बूढ़े ज्ञानी महात्मा वर्का बिन नौफिल ने कहा था कि यह वह फरिश्ता है जो ईसा और मूसा नबी पर भी संदेश लाया था, आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, काश मैं उस समय तक जिंदा रहूं जब आप की क़ौम आपको मक्का नगर से निकाल देगी, तब मैं आपकी भरपूर सेवा कर सकूं।

कुछ दिन बाद वह फरिश्ता फिर आया और अल्लाह का पहला संदेश (कुरआन–96:1–5) लाया जिस में पढ़ने की प्ररेणा दी गई थी। उसके बाद समय समय पर अल्लाह तआला की ओर से संदेश और निर्देश इंसानों की रहनुमाई के लिए मुहम्मद सल्ल० पर उतरने लगे लोगों की ओर से प्रश्न किए जाते, संदेह व्यक्त किए जाते, अपनी समस्याओं के विषय में पूछा जाता, और अल्लाह तआला की ओर से उनके जवाब मुहम्मद सल्ल० पर उतरते। इन सब को लिखने की व्यवस्था हज़रत मुहम्मद सल्ल० ने कर दी थी। उनके निर्देशन में आरंभ से ही वह संदेश कुरआन के विभिन्न अध्यायों में यथास्थानों पर लिखे जाने लगे। इस प्रकार हजरत मुहम्मद सल्ल० के पूरे जीवन काल में अल्लाह के पैगामों का एक ऐसा संग्रह पवित्र कुरआन के रूप में बन गया जिस में भक्ति– बंदगी और उपासना के शुद्ध स्वरूप के अतिरिक्त अर्थ व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, युद्ध और संधि, स्त्रियों के अधिकार, माँ बाप की सेवा, पड़ोसियों से संबंध, गुलामों की आज़ादी, दीन दुखियों की सेवा, स्वर्ग और नरक जैसे अनेक विषयों की चर्चा मिलती है।

इतना ही नहीं इस पवित्र कुर्आन में धरती पर आने वाले पहले इंसान, हम सब के पितामह बाबा आदम और मां हव्वा (भारतीय ग्रंथों में हव्यवति)

की रचना से लेकर हज़रत ईसा तक आने वाले अनेक ईशदूतों, संदेश वाहकों (रसूलों) और उनकी कौमों की कथायें विस्तार पूर्वक प्ररेणा प्राप्त करने के लिए सुनाई गई हैं। अनेक कथाओं को सुनाने के बाद अल्लाह तआला ने यह भी जता दिया कि ऐ मुहम्मद तुम इन घटनाओं के समय उपस्थित नहीं थे, न तुम इन घटनाओं के बारे में इस से पहले कुछ जानते थे और न तुम्हारी क़ौम जानती थी।

कभी कभी ऐसा भी हुआ कि लोगों ने कोई सवाल पूछा और हजरत मुहम्मद सल्ल० अल्लाह की ओर से उसके बारे में कई दिन तक जवाब पाने की प्रतीक्षा करते रहे। देरी होने पर लोग बातें बनाने लगते और खिल्ली उड़ाने लगते कहते कि मुहम्मद को उनके रब ने छोड़ दिया है। ऐसे अवसर पर स्वयं मुहम्मद सल्ल० भी दुखी रहते और डरते रहते इसीलिए कभी कभी खुदा–ए–पाक को उनकी दिलजोई करने और विश्वास दिलाने की जरूरत पड़ी कि ऐ मुहम्मद न हमने तुम को छोड़ा है और न हम तुम से नाराज हैं ।

बिना संकोच दावा के साथ कहा जा सकता है कि कुरआन वह किताब है जिस में क़यामत तक आने वाले प्रत्येक इंसान की समस्यायों का समाधान अल्लाह की ओर से उतारा हुआ मौजूद है। कुरआन की शैली पर तनिक भी विचार करने वाला व्यक्ति सरलता पूर्वक समझ सकता है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल० को बार बार ''कुल'' (कहो) शब्द से आदेश दे कर आम इंसानों तक पैगाम पहुंचाने का साफ मतलब यही है कि कोई हस्ती है जो मुहम्मद सल्ल० को आदेश दे रही है, और यह पैगाम उसी हस्ती का है, उसी का नाम अल्लाह, ईश्वर, गाड है, भाषाओं के अंतर से ''वह हस्ती'' नहीं बदलती।

ग़ौर व फिक्र करने का मुक़ाम है, क्या दुनिया में कोई ऐसी दूसरी किताब है जो कुरआन की तरह प्रत्येक विषय पर प्रकाश डालती हो और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हो, इतना ही नहीं बल्कि पूरी किताब में कहीं कोई विरोधाभास भी न हो। बड़े बड़े मशहूर लेखक और ज्ञानी केवल अपने विषय तक ही सीमित रहते हैं और उस में भी अनेक विरोधाभास प्रकट करने वाली बातें अनजाने में लिख जाते हैं। फिर क्या यह संभव है कि एक बे पढ़ा लिखा व्यक्ति 1400 वर्ष पहले इतनी मुकम्मल और ज्ञानवर्धक किताब स्वयं अपने ज्ञान के आधार पर लिख सके जिस में कोई विरोधाभास न हो और लगभग 1400 वर्ष बीतने के बाद भी कोई बात वैज्ञानिक व सैद्धांतिक आधारों पर ग़लत सिद्ध हुई हो।

इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान काल में दुनिया में कोई दूसरी आसमानी किताब ऐसी मौजूद नहीं है जो अपने मूल (*original*) शब्दों में सुरक्षित हो , और न ही उन किताबों की मूल भाषा आज के जमाने में मशहूर है। केवल कुरआन ही है जो आज भी उन्हीं शब्दों में पढ़ा जा रहा है जो शब्द खुदा की ओर से उतरे थे। कुरआन की भाषा अरबी भी दुनिया के बड़े भाग में बोली और समझी जाती है। कुरआन ही वह किताब है जो दुनिया के लाखों लोगों को हिफ्ज (कंठस्थ) है और प्रतिदिन पांच बार नमाज के समय दुनिया के प्रत्येक भाग में उसका कोई न कोई भाग अवश्य पढ़ा जाता है। और प्रतिवर्ष रमजान के महीने में दुनिया की प्रत्येक मस्जिद में कम से कम एक बार यह पूरी की पूरी किताब अवश्य ही पढ़ी जाती है।

अंकगणित (इल्मुलहिसाब) में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आधुनिक काल में कम्प्यूटर तकनीक से सिद्ध होने वाला एक चमत्कार और है, वह यह कि कुरआन के अध्याय और उसके शब्द व अक्षर कुछ सांख्यकिक सूत्रों (*Numrical formulas*) से बंधे हुए हैं, कोई शरारती तत्व उन में हेर फेर नहीं कर सकता ।

अंत में हक़ीक़त को समझाने के लिए दो उदाहरण दे कर मजमून को खत्म करेंगे। कुरआन की पहली आयत ''बिस्मिल्लाहि र्रहमानिर्रहीम'' है इस में अरबी के कुल 19 अक्षर हैं और चार शब्द हैं–

1– इस्म 2– अल्लाह

3– रहमान 4– रहीम।

पहला शब्द इस्म पूरे कुरआन में 19 बार आया है जो 19 से एक बार पूर्ण विभाजित (तक़्सीम) होता है। दूसरा शब्द अल्लाह पूरे कुरआन में 2698 बार आया है जो 19 से 142 बार पूर्ण विभाजित होता है तीसरा शब्द रहमान पूरे कुरआन में 57 बार आया है जो 19 से 3 बार पूर्ण विभाजित होता है चौथा शब्द रहीम पूरे कुरआन में 114 बार आया है जो 19 से 6 बार पूर्ण विभाजित होता है। इतना ही नहीं, आगे देखिए, इन चारों विभाज्य फलों (हासिल) का जोड़ 1+142+3+6=152 भी 19 से 8 बार पूर्ण विभाजित होता है।

इसी तरह कुरआन के सभी शब्द एक दूसरे से कुछ रियाजी के उसूलों (सांख्यिक सूत्रों) से जुड़े हुए हैं, और 19 का हिंदसा तो एक विशेष महत्व रखता है, इस हिंदसे में एक खास इशारा भी है। 19 का हिंदसा दो हिंदसों से मिल कर बना है जिस में एक और नौ उस मालिक की ओर इशारा कर रहे हैं जो अव्वल (सर्वप्रथम) भी है और आखरि भी। यह 19 का अंक किसी दूसरे अंक से विभाजित भी नहीं होता जिस का मतलब है कि वह मालिक अकेला है, उसका जैसा कोई दूसरा नहीं।

प्रमाण तो अनेक हैं मगर केवल एक और का उल्लेख (जिक्र) करना अनुचित (गैर मुनासिब) न होगा ।

कुरआन पाक में अलबहर यानी समंदर का जिक्र 32 बार आया है तथा अलबर्र यानी खुशकी का जिक्र 13 बार आया है दोनों का जोड़ 45 होता है। कुल 45 में 32 का भाग होता है 71.11 प्रतिशत (फीसद) और 45 में 13 का मतलब होता है 28.89 प्रतिशत। अब गौर फरमायें, वर्तमान रिसर्च से पता चला है कि धरती पर समंदर और खुशकी का अनुपात भी ठीक यही है, यानी समंदर 71.11 % और जमीन 28.89% ।

इतने प्रमाणों के मिलने के बाद भी यदि कोई कुरआन को मुहम्मद सल्ल० की अपनी बनाई हुई किताब कहता है तो यह उसकी भूल है।

❖❖❖

पत्नी के अचानक इंतेक़ाल से जनाब मो0 अहमद साहब को सदमा

नदवतुल उलमा, और उसके ज़िम्मेदारों से मुहब्बत त तअल्लुक़ रखने वाले, सुलतापुर में फलों के मशहूर कारोबारी, समाजसेवी, उलमा से अक़ीदत रखने वाले, जनाब मो0 अहमद साहब की पत्नी का अचानक 8 फरवरी, 2023 को इन्तिक़ाल हो गया, ''इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन''।

मरहूमा बड़ी नेक इबादत गुज़ार, नमाज़, रोज़े की पाबंद अपने अज़ीज़ों और दिश्तेदारों के दुख सुख को भली भांति समझने वाली और बड़ी मेहमान नवाज़ खातून थीं मरहूमा ने अपने शौहर का भी खूब साथ निभाया और सब्र व शुक्र का दामन कभी न छोड़ा। अल्लाह मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाये और उनके दोनों बेटों जावेद अहमद, मेराज अहमद और दोनों बेटियों के साथ तमाम घर वालों को सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमाये, इदारा ''सच्चा राही'' उनके ग़म में बराबर का शरीक है और समस्त पाठकों से दुआ की अपील करता है। ◆◇◆

ऐलाने मिल्कियत व अन्य विवरण फार्म-4 नियम-8

प्रकाशन का स्थान	–	नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ–7
प्रकाशन अवधि	–	मासिक
सम्पादक	–	सैय्यद मो0 गुफ़रान नदवी
राष्ट्रीयता	–	भारतीय
पता	–	नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ–7
मुद्रक एवं प्रकाशक	–	मोहम्मद ताहा अतहर
राष्ट्रीयता	–	भारतीय
पता	–	223 बगरिया दुबग्गा, काकोरी, लखनऊ, उ0प्र0–227107
मालिक का नाम	–	मजलिसे सहाफत व नशरियात

मैं, मोहम्मद ताहा अतहर प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे विश्वास व जानकारी में सही हैं।

अपने पाठकों से

- सच्चा राही आपको कैसा लगा आप अपनी राय से अवगत करें, हम आपके पत्रों की प्रतीक्षा में रहते हैं। हम आपके सुझाओं का स्वागत करते हैं।
- हम अपने सम्मानित लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वह सामाजिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक विषयों पर अपने मूल्यवान लेख लिख कर हमें भेजें, हम आपके शुक्र गुज़ार होंगे।
- आप अपने लेख सरल भाषा में लिखें तथा विषय स्पष्ट हों, जो पाठकों को आसानी से समझ में आ सकें।
- आप सच्चा राही के नये ग्राहक बना कर हमारा सहयोग करें।
- आप अपनी आवश्यक दीनी समस्याएं लिखें हम उनके समाधान लिख कर सच्चा राही में प्रकाशित करेंगे।
- **आप अपने लेख भेजने के लिए उप सम्पादक के नं0 9450784350 का प्रयोग करें।**

तुर्की का विनाशकारी भूकंप और कुदरत के करिश्में

जमाल अहमद नदवी
(उप सम्पादक)

दुनिया का इतिहास हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड पर कुदरती आफतें और मुसीबतें हर काल में अलग अलग रूपों में आती और क़हर बरपाती रही हैं कभी यह आफतें सैलाब, कभी आँधी व तूफान कभी महामारी कभी सूखे और कभी भूकंप के शक्ल में भी आयीं और गुज़र गईं, लेकिन पिछले दो सप्ताह पहले यानी 6 फरवरी 2023 को दक्षिण पूर्वी तुर्की और दक्षिणी सीरिया में 7.8 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने जो तबाही मचाई है उससे हर वह इंसान जिसके सीने में धड़कता दिल है काँप उठा, अख़बारात और सोशल मीडिया के ज़रिए भूकंप की जो तस्वीरें आईं, उन्होंने रोंगटे खड़े कर दिये, कोई मलबे में दबे अपने बच्चे का हाथ थामे मदद की आस में बैठा है, कोई अपने बच्चे को कलम–ए–लाइलाह इल्लल्लाह पढ़ने की तलक़ीन कर रहा है, कोई बहन अपने छोटे भाई की ज़िन्दगी बचाने के लिए बेचैन नज़र आई, इस विनाशकारी भूकंप ने इन देशों को वर्षों के लिए पीछे धकेल दिया, पूरे के पूरे शहर खाक के ढेर में तब्दील हो गये, हज़ारों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी और ग़ैर सरकारी दफ़्तर मिन्टों और सेकंड़ों में धराशायी हो गये, सड़कें फट और धँस गयीं, रास्ते बंद हो गये, बिजली, पानी की सप्लाई बाधित हो गयी, खाने पीने के सामान का संकट पैदा हो गया, अब तक हज़ारों की संख्या में लोग मौत के मुँह में समा चुके हैं अनगिनत बच्चे यतीम और औरतें बेवा और बूढे बेयार व मददगार हो चुके हैं। और हर दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लाखों बे सहारा लोग एक एक दाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने और खुले आसमान के नीचे सख़्त सर्दी में रात गुज़ारने के लिए मजबूर हो गये हैं, हर एक अभी भी अपनों को तलाश करता फिर रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया के अन्य देशों ने आपदा की इस घड़ी में इन देशों को तन्हा नहीं छोड़ा, एक अख़बारी रिपोर्ट के मुताबिक़ दुनिया भर के तक़रीबन 99 देशों ने अपनी मदद का हाथ बढ़ाया है, जिनके सहयोग से लगातार राहत व बचाव कार्य जारी है सैकड़ों बचाव टीमें अभी भी लोगों को बचाने की कोशिशें कर रही हैं। और परेशान हाल लोगों तक हर प्रकार की राहत सामग्री पहुँचाने में रात दिन लगे हुए हैं। भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाते हुए तुरंत चार सी–17 ग्लोब मास्टर सैन्य परिवहन विमानों के ज़रिए राहत सामग्री, एक चलित अस्पताल और तलाश एवं बचाव कार्य करने वाले विशेषज्ञ दल को भेजा है इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है।

इस विनाशकारी भूकंप को दो हफ़्ते गुज़रने को हैं लेकिन हर दिन कुदरत अपने करिश्मे भी दिखा रहा है और हर दिन लोग ज़िन्दा निकाले जा रहे हैं जब कि चिकित्सकीय माहिरीन का कहना है कि मल्बे तले दबे लोग आमतौर पर पाँच दिन ज़िन्दा रह सकते हैं, पाँच दिन से ज़्यादा बचे रहना किसी करिश्मे से कम नहीं।

''अल अरबिया नेट'' के मुताबिक़ मल्बे के नीचे पैदा होने वाली और बच जाने वाली एक ऐसी बच्ची को निकाला गया जिसके माँ–बाप और चार भाई बहन दब कर हलाक़ हो गये लेकिन वह ख़ुदाई करिश्मे से बच गई, उस बच्ची को निकालने वाले शख़्स ने एक इण्टरव्यू में बताया कि उसने उसे गोद लेने और उसका नाम ''अफ़रा'' रखने का फैसला किया है चूँकि उसकी माँ का नाम भी ''अफरा'' था। बहर हाल करिश्माती तौर पर ज़िन्दा बचने वालों का सिलसिला अभी जारी है एक बचाव कर्मी के मुताबिक़ मल्बे के ढेर से जैसे ही किसी ज़िन्दा शख़्स को निकाला जाता है अल्लाहु अक्बर और अलहम्दुलिल्लाह के नारों से फिज़ाँ गूँज उठती है, ग़म के बावजूद लोगों के चेहरे खिल उठते हैं।

अल्लाह हम सब को अपने अपने स्तर पर उनकी सहायता करने की तौफ़ीक़ अता फरमाये, और हम सब को तौबा व इस्तिग़फ़ार की भी तौफ़ीक़ से नवाज़े। आमीन!

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः क्या रोज़े के लिए नीयत करना ज़रूरी है?

उत्तरः हाँ रोज़े के लिए नीयत करना शर्त है, अगर किसी ने नीयत के बगैर रोज़ा पूरा कर लिया तो रोज़ा नहीं होगा।

प्रश्नः नीयत किस वक़्त करना ज़रूरी है?

उत्तरः रमज़ान शरीफ और नज़्रे मुअय्यन और सुन्नत और नफ़्ल रोज़ों की नीयत रात से करे या सुब्ह को आधे दिन से पहले पहले तक जाइज़ है दिन से मुराद शरई दिन है जो सुब्हे सादिक़ से गुरूबे आफताब तक माना जाता है।

कज़ाए रमज़ान और कफ़्फ़ारा, नज़्रे गैर मुअय्यना की नीयत सुब्हे सादिक़ से पहले कर लेना ज़रूरी है।

प्रश्नः नीयत ज़बान से करना ज़रूरी है या नहीं?

उत्तरः नीयत कस्द और इरादा करने को कहते हैं, दिल से इरादा कर लेना काफी है, ज़बान से कह ले तो बेहतर है, अगर ज़बान से न कहे तो कोई हरज नहीं।

प्रश्नः रमज़ान के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ हैं?

उत्तरः रमज़ान के रोज़े हर आक़िल (बुद्धिमान) बालिग़ (व्यस्क) तन्दुरुस्त (स्वस्थ) मुक़ीम मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ हैं।

प्रश्नः क्या नाबालिग़ बच्चों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं?

उत्तरः हाँ नाबालिग़ बच्चों और मज़नून पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं। हज़रत अली रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्ल0 ने फ़रमायाः तीन क़िस्म के आदमी मरफ़ूउ़लक़लम (वह जिनके कर्म नहीं लिखे जाते) हैं एक मजनून यहां तक कि उस का जुनून (पागल पन) दूर हो जाए, दूसरा सोने वाला यहां तक कि वह जाग जाए, तीसरा बच्चा यहां तक कि वह बालिग़ हो जाए।

(मुस्नदे अह़मद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, फ़िक्हुस्सुन्नः)

नाबालिग़ बच्चों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं लेकिन अन्दाज़ा लगाया जाए जो बच्चे रोज़े रख सकते हैं उनसे रोज़े रखवाएं सवाब मिलेगा और आदत बनेगी जब बालिग़ हो जाएंगे तो रोज़ा छोड़ने के गुनाह में मुब्तला न होंगे।

रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले जब आशूरा के रोज़े की बड़ी अहमियत थी तो सहाब—ए—किराम नाबालिग़ बच्चों से भी रोज़ा रखवाते थे। इस तरह बच्चों से रोज़े रखवाने का सुबूत मौजूद है।

प्रश्नः बूढ़ों के लिए रमज़ान के रोज़ों का क्या हुक्म है?

उत्तरः ऐसे बूढ़े जो रोज़े रखने की ताक़त न रखते हों रोज़े न रखें जैसा कि फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है। (बिदायतुल मुजतहिद 1:202) मगर फ़िद्या अदा करें।

प्रश्नः किन चीज़ों से रोज़ा मक्रूह नहीं होता?

उत्तरः 1. सुर्मा लगाना।
2. बदन पर तेल मलना या सर में तेल डालना।
3. ठन्डक के लिए गुस्ल करना।
4. मिस्वाक करना, चाहे ताज़ी जड़ या तर शाख की हो।
5. खुश्बू लगाना या सूंघना।
6. भूले से कुछ खा पी लेना।
7. खुद ब खुद कै हो जाना ।

8. अपना थूक अन्दर ही अन्दर निगलना।

9. बिला कस्द मक्खी या धुएं का हलक़ से उतर जाना।

प्रश्नः जिन बातों से रोज़ा टूट जाता है, और सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होती है वह क्या हैं?

उत्तरः (1) किसी ने ज़बरदस्ती कुछ खिला दिया और वह चीज़ हलक़ से नीचे उतर गई।

(2) रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक़्त बिला क़स्द हलक़ में पानी उतर गया। (3) खुद से कै आई और क़स्दन कुछ हिस्सा हलक़ में लौटा लिया। (4) कस्दन मुँह भर के कै कर डाली (अगर जरा सी कै कस्दन भी की तो रोज़ा नहीं टूटा) (5) कंकरी या पत्थर का टुकड़ा या गुठली या मिट्टी या कागज़ का टुकड़ा कस्दन निगल लिया। (6) कान में तेल या दवा डाली। (7) नास लिया। (8) दाँतों में से निकले हुए खून को निगल लिया जब कि खून थूक पर गालिब हो। (9) भूले से कुछ खा पी लिया और यह समझ कर कि रोज़ा टूट गया फिर कस्दन खाया पिया इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है मगर सिर्फ क़ज़ा लाज़िम आती है।

प्रश्नः किन सूरतों में रोज़ा तोड़ने पर क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम आते हैं?

उत्तरः रमज़ान शरीफ के महीने में रोज़ा रख कर ऐसी चीज़ जो गिज़ा या दवा या लज्ज़त के तौर पर इस्तेमाल की जाती है कस्दन खा पी ली। रमज़ान में रोज़े की हालत में क़स्दन संभोग कर लिया, इन सूरतों में क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम होंगे।

प्रश्नः रोज़ों का फिद्या क्या है?

उत्तरः हर रोज़े के बदले पौने दो सेर (एक किलो छे सौ ग्राम) गेहूं या साढे तीन सेर (तीन किलो दो सौ ग्राम) जौ या इनमें से किसी एक की क़मीत या इन की क़ीमत के बराबर कोई और गल्ला मसलन चावल, ज्वार, बाजरा वगैरा गरीब मुसलमान को देना।

प्रश्नः तरावीह की नमाज़ की जमाअ़त का क्या हुक्म है?

उत्तरः तरावीह की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ना भी जाइज़ है, तन्हा भी जाइज़ है, लेकिन इस का मस्जिद में जमाअ़त से पढ़ना मुस्तहब है। नबी करीम सल्ल0 ने सहाबा को तीन रातें तरावीह जमाअ़त से पढ़ाई, चौथी रात आप इस अन्देशे से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए कि कहीं तरवीह़ की नमाज़ भी मुसलमानों पर फ़र्ज़ न कर दी जाए। फिर लोग मस्जिद में या अपने अपने घरों में फ़र्दन फ़र्दन (अकेले–अकेले) तरावीह पढ़ते रहे यहां तक कि हज़रत उमर ने अपने ज़माने में फिर उन्हें मस्जिद में एक इमाम के पीछे जमा कर दिया क्योंकि अब तरावीह़ के फ़र्ज़ हो जाने का अन्देशा नहीं रहा।

(अल फिक्हुस्सुन्नः 1:195)

अह़नाफ़ के नज़दीक़ तरावीह़ की जमाअ़त पूरी बस्ती वालों के लिए सुन्नते किफ़ाया है यानी अगर चन्द लोग जमाअ़त से तरावीह़ पढ़ लें तो दूसरों से इस सुन्नत का मुतालबा साक़ित हो जाता है। मालिकीया के नज़दीक़ तरावीह़ की जमाअ़त मुस्तहब है, शाफ़ओ़या और ह़ंबलीया के नज़दीक तरावीह़ की जमाअ़त सबके लिए सुन्नत है।

(अल फ़िक्हु अ़ललमज़ाहिबिल अरबआ़ 11441)।

❖❖❖

आइना

मिल ही जाएगा आप को ऐज़ाज़।
शर्त है बे ज़मीर हो जाएं।।
काम ऐसा करें ज़माने में।
आप भी बे नज़ीर हो जाएं।।

(जावेद मुशीरी)

–पिछले अंक से आगे.....

घरेलू मसायल

–मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन सम्भली रह0

–अनुवादः मौ0 मु0 जुबैर अहमद नदवी

पश्चिम में औरतों को मार पीट!:–

पतियों के बीवियों को पीटने पर आपत्ति करने वाले आम तौर पर पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित लोग हैं,उनकी आँखें खोलने और आपत्ति करने वालों के मुंह बंद करने के लिए शायद ये खुलासा काफी हो कि आज के ''मॉडर्न जमाने'' में इन पश्चिम से प्रभावित लोगों के आईडियल देशों (यूरोप व अमेरिका) में भी बीवियों को मारने पीटने की घटनाएं बहुत कम नहीं हैं, हजरत मौलाना अतीकुर्रहमान संभली (रह०) ने (मासिक पत्रिका अल–फुरकान, जून 2022 ई० में) अपने एक लेख के अंदर कई ऐसे वाकियात का जिक्र किया है, जिन में एक वाकिया ये है कि एक यूरोपियन रिस्पेक्टेड लेडी जिन्हों ने वेल एजुकेटेड वर्गों की बात करते हुए यह लिखा था– पश्चिम में भी बीवियों को पीटा जाता है, हाँ ये पीटना उनके दिनचर्या में शामिल नहीं होता लेकिन जब भी पीटते हैं तो बहुत बुरी तरह पीटते हैं, यहां तक कि इससे भी बड़ी गवाही एक अमेरिकी पत्रकार की है जिसने कुछ पहले मशहूर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर निक्सन के बारे में ये भी बताया था कि श्रीमान अपनी बीवी को बुरी तरह पीटने के आदी थे। इसके अलावा इंग्लैंड वगैरह में रहने वाले कई काबिले भरोसा लोगों ने जबानी भी औरतों को मार पीट करने की घटनाएं बताई हैं जिनसे ये नतीजा निकालना गलत न होगा कि हर जगह कम ज़्यादा कुछ औरतें इसी जबान को समझती हैं इसके अलावा और कोई चीज उन पर असर नहीं करती मगर मजबूरी के दर्जे में इस पर अमल करते वक़्त भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से पति को निर्देश दिए गए हैं कि ''चेहरे पर न मारना'' (और सख़्त चोट न लगाना)।

(सहीह मुस्लिम, जिल्दः 2, पृष्ठ– 327)

इन सब तदबीरों के बे असर हो जाने के बाद भी फौरन तलाक देने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि दूसरे खैरख़्वाह रिश्तेदार, और खानदान के बुजुर्ग जिनका आम तौर पर असर कुबूल किया जाता है, उन्हें दरम्यान में पड़ कर सुलह–सफाई करने, गलतफहमियां दूर करने और समझाने बुझाने का काम सिपुर्द किया गया। अब बताइये! इन सब कोशिशों के बाद भी निबाह नहीं होता तो फिर जिन्दगी भर कड़वाहट, नाखुशगवारी, बदमजगी और कोफ़्त के साथ दोनों को उनके स्वभाव के अंतर्गत और असली रुझान को नजरअंदाज करते हुए एक साथ रहने पर मजबूर करना, उन दोनों या उन में से किसी एक के साथ ये इंसाफ कहलाएगा या जुल्म? जाहिर है कि ऐसी आनंद से खाली बल्कि कड़वी जिन्दगी तो दोनों की सेहत, उनकी कार्य क्षमता और उनकी ऊर्जा शक्ति पर बुरा असर जरूर डालेगी! इस परिस्थिति में इनके बीच अलगाव हो जाना ही न सिर्फ उनके बल्कि पूरे खानदान के हक में बेहतर है, लेहाजा इन हालात में खुदा का यही हुक्म है, और इसी पर चलना उनके हक में बेहतर होगा कि ये अलग हो जाएं। ''आपको नहीं मालूम अल्लाह तआला शायद इसके बाद कोई अच्छी चीज पैदा कर दे।''

(सूरह अल–तलाक आयतः1)

और ''अगर ये दोनों अलग हो जाएं तो अल्लाह तआला हर

एक को अपनी वुसअत से नवाज दे।'' (सूरह अल–निसा आयत–130) में शायद इसी तरफ़ तवज्जोह दिलाई गई है।

तलाक़ देने का सही तरीकाः–

मगर ऐसे वक़्त भी बिला कैद (निर्बाध) तलाक़ देने, और ऐसी सख़्त ज़रूरत के मौकों पर भी अचानक सारी तलाकें दे डालने और भविष्य में मिल जाने व सहमति बनने और एक साथ रहने की सारी संभावनाएं बिलकुल खत्म कर देने से रोका गया है, और इसका असल तरीका ये बताया गया। तलाक़ का सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि एक तलाक़ दी जाए वो भी उस वक़्त जबकि औरत (अपने मासिक धर्म से) पाक हो और उससे (नापाकी के दिन) गुज़रने के बाद अभी तक सोहबत (सम्भोग) न की हो, एक तलाक़ दे कर यूँही छोड़ दिया जाए यहां तक कि इद्दत पूरी हो जाए (और ये तरीक़ा इस लिए बेहतर है कि) सहाबा रज़ि0 इसी को पसंद करते थे कि एक तलाक़ से ज़्यादा न दें और इद्दत पूरी होने दें।

(हिदाया अव्वलैनः पृष्ठ–334)

गौर करिये! एक तलाक़ देने की इज़ाज़त तो दे दी गई है, मगर ये कह दिया गया कि वो भी ऐसे वक़्त में दी जाए, जब कि औरत के साथ यौन संबंध बनाने की आम तौर पर भर पूर इच्छा मर्द के दिल में मौजूद हुआ करती है, यहाँ ये बयान करने की ज़रूरत नहीं कि ऐसी हालत में मर्द, तलाक़ का हक़, जज़्बात के बहाव में आ कर नहीं बल्कि जज़्बात के उलट सिर्फ सोची समझी स्कीम और अस्ली ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेगा, इसी बिना पर औरत को उन खास दिनों में, या उस वक़्त जब कि मर्द ''संतुष्ट'' हो चुका हो (यानी सम्भोग कर चुका हो), तलाक़ देने से मना किया गया है इसके अलावा जिस पाकी में सम्भोग किया है उसमें तलाक़ देने से मना करने की एक मस्लहत ये है कि हो सकता है सम्भोग के नतीजे में गर्भधारण हो गया हो, अगर ऐसा है तो इद्दत लम्बी हो जाएगी दूसरी मसलहत ये मालूम होती है कि सम्भोग करने के बाद एक तरह से तवज्जो कम हो जाती है और बीवी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। जिसकी वजह से तलाक़ देने की तलब पैदा हो सकती है फिर तलाक़ देने में ज़्यादा तकलीफ़ न हो। तलाक़ देना न सिर्फ ना पसंदीदा करार दिया गया, बल्कि इससे रोका गया गया है, क्योंकि ऐसे वक़्त तलाक़ देने में अक़्ल से ज़्यादा वक़्ती गुस्सा या कोई और तत्काल कारण की भी संभावना है।

यहां ये बात भी जेहन में रहनी चाहिए की इस बारे में सिर्फ प्रेरित करने पर ही बस नहीं किया गया, क़ानूनी तौर पर भी मना कर दिया गया कि कोई शख़्स औरत के ''विशेष मजबूरी'' के दिनों में उसे तलाक़ दे, या एक साथ तीन तलाक़ें किसी भी ज़माने में दे, इससे भी आगे बढ़ कर ये कि ऐसी हालत में दी गई तलाक अगरचे पड़ जाती है मगर उस के बाद रुजू (अपनी बात वापस लेना) को ज़रूरी करार दिया गया है (बशर्ते कि तीन तलाकें न हो गई हों, ना जायज़ तलाक़ के पड़ जाने के बारे में पहले एक नोट गुज़र चुका है।

हदीस की सारी किताबों में ये वाकिया मिलता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) ने अपनी बीवी को हैज (मासिक धर्म) की हालत में तलाक़ दे दी, उनके बाप हज़रत उमर (रजि०) ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब ये वाकिया बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सख़्त गुस्सा हुए और हज़रत उमर से कहा कि अपने बेटे को रुजू करने का हुक्म दो।

(अबू दाऊद, जिल्द–1 पृष्ठः 313)

.....ज़ारी.....

❖❖❖

रमज़ानुल मुबारक की अहमियत

मौलाना आफ़ताब आलम नदवी ख़ैराबादी

रमज़ानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह तआला का बहुत बड़ा इन्आ़म है, मगर जब है जब कि इस इन्आ़म की क़द्र की जाये।

हदीस शरीफ़ में है कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाये कि रमज़ान क्या चीज़ है, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि पूरे साल रमज़ान ही रहे। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले शाबान की आख़िरी तारीख़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़राते सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से बहुत अहम ख़िताब फ़रमाया–

हज़रत सलमान फारसी रज़ि0 फरमाते हैं कि नबी करीम सल्ल0 ने शाबान की आख़िरी तारीख़ में हम लोगों को ख़िताब फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है, इसमें एक रात है शबे क़द्र जो हज़ार महीनों से बढ़ कर है, अल्लाह तआला ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया और इस रात के क़ियाम (यानी तरावीह) को सवाब की चीज़ बनाया है, जो इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे वो ऐसा है जैसा कि ग़ैर रमज़ान में फर्ज़ अदा किया और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि ग़ैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे, ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ ग़मख़्वारी करने का है, इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, जो शख़्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ़्तार कराये उसके लिए गुनाहों के मुआफ़ होने और आग से नजात का सबब होगा, और रोज़ेदार के सवाब में कुछ कमी नहीं आयेगी। सहाबा रज़ि0 ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्ल0 हममें से हर शख्स तो इतनी वुसअ़त नहीं रखता कि रोज़ेदार को इफ़्तार कराये तो आप सल्ल0 ने फरमाया पेट भर लिखाने पर मौकूफ़ नहीं ये सवाब तो अल्लाह तआला एक ख़जूर से इफ़्तार कराने या एक घूँट पानी पिलाने या एक घूँट लस्सी पिलाने पर भी मरहमत फरमाते हैं, ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आख़िरी हिस्सा आग से आज़ादी का है, जो शख़्स इस महीने में अपने ग़ुलाम और ख़ादिम के बोझ को हल्का करदे तो अल्लाह तआला उसकी मग़फिरत फ़रमाते हैं, और आग से आज़ादी फ़रमाते हैं, और चार चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से दो चीज़ें अल्लाह तआला की रज़ा के वास्ते और दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें छुटकारा नहीं, पहली दो चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, वह कलिमा तय्यिबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी दो चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो, जो शख़्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाये हक़ तआ़ला क़यामत के दिन मेरे हौज़ से उसको ऐसा पानी पिलायेंगे जिसके बाद जन्नत में दाख़िल होने तक प्यास नहीं लगेगी।

इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के बारे में हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने उम्मते मुस्लिमा को पाँच चीज़ों की ख़ुशख़बरी भी सुना दी, हज़रत अबू हुरैरह

रज़ि0 ने हुज़ूर सल्ल0 से नक़्ल किया है कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ़ के बारे में पाँच चीज़ें मख़्सूस तौर पर दी गयीं हैं, जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं– (1) रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक़ मुश्क से ज़्यादा पसन्दीदा है। (2) उनके लिए दरया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं, और इफ़्तार के वक़्त तक करती रहती हैं। (3) जन्नत हर रोज़ उनके लिए पेश की जाती है फिर अल्लाह तआला फ़रमाते हैं, कि क़रीब है कि मेरे नेक बन्दे दुनिया की मशक़्क़तें अपने ऊपर से फ़ेंक कर तेरी तरफ आवें। (4) इसमें सरकश शयातीन क़ैद कर दिये जाते हैं, कि वह रमज़ान में उन बुराईयों की तरफ़ नहीं पहुँच सकते, जिनकी तरफ़ ग़ैर रमज़ान में पहुँच सकते हैं। (5) रमज़ान की आख़िरी रात में रोज़ेदारों की मग़फिरत की जाती है, सहाबा रज़ि0 ने अर्ज़ किया कि ये शबे मग़फिरत शबे क़द्र है? फरमाया नहीं बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक़्त मज़दूरी दे दी जाती है। हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने इस हदीसे पाक में पाँच ख़ुसूसियात इरशाद फ़रमाईं हैं, जो इस उम्मत को अल्लाह तआला की तरफ़ से बहुत ही मख़सूस इनआ़म के तौर पर अता की गयीं, जो पहली उम्मतों को नहीं मिला, काश हमें इस नेअ़मत की क़द्र होती और इन ख़ुसूसी अताया के हुसूल की कोशिश करते।

नबी करीम सल्ल0 ने मुबारक और बरकत वाले महीने के मुतअल्लिक़ इरशाद फ़रमाया, हज़रत उबादा रज़ि0 फ़रमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्ल0 ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है, हक़ तआला शानहू इसमें तुम्हारी तरफ़ मुतवज्जेह होते हैं अपनी रहमते खास्सा नाज़िल फरमाते हैं ,ख़ताओं को मॉफ फरमाते हैं, दुआवों को कुबूल करते हैं। तुम्हारे एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के शौक़ को देखते हैं, और फ़रिश्तों से फ़ख्र करते हैं, पस अल्लाह को अपनी नेकी दिखाओ, बदनसीब है वो शख़्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जावे।

रमज़ानुल मुबारक के ही बारे में हुज़ूर सल्ल. ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की हर शब व रोज़ अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के क़ैदी छोड़े जाते हैं, और हर मुसलमान के लिए हर शब व रोज़ में एक दुआ ज़रूर कुबूल होती है।

हुज़ूर सल्ल0 का इरशाद है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक उसको फाड़ न डाले, ढाल का मतलब है कि जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाज़त करता है। इसी तरह रोज़े से भी अपने दुशमन यानी शैतान से हिफ़ाज़त होती है। एक रिवायत में आता है कि रोज़ा हिफ़ाज़त है अल्लाह के अज़ाब से, नबी करीम सल्ल0 का इरशाद है कि जो शख़्स जानबूझ कर बिला किसी शरई उज़्र के एक दिन भी रमज़ान के रोज़े को छोड़ दे, ग़ैर रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र रखे उसका बदल नहीं हो सकता। एक रिवायत में है कि रोज़ेदारों के वास्ते क़यामत के दिन अर्श के नीचे दस्तर ख्वान लगाया जायेगा, रोज़ेदार उस पर बैठ कर खाना खायेंगे और सब लोग अभी हिसाब ही में फँसे होंगे, उस पर लोग कहेंगे, ये लोग कैसे हैं कि खाना खा पी रहे हैं और हम हिसाब ही में फँसे हैं, उनको जवाब मिलेगा कि ये लोग रोज़ा रखा करते थे, और तुम लोग रोज़ा नहीं रखते थे, ये रोज़ा भी दीने इस्लाम का रुक्न है, जो कोई रमज़ान के रोज़े न रखेगा वह बड़ा गुनहगार होगा।

❖❖❖

इतिहास के पन्नों से

बापू के निधन के बाद दर्ज हुई एफ.आई.आर.

संग्रहालय में रखे हत्याकाण्ड से जुड़े दस्तावेजों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मामले के शुरुआती जाँच अधिकारी तुगलक रोड पुलिस थाने के तत्कालीन एससचओ दसौंधा सिंह, पुलिस उप अधीक्षक जसवंत सिंह और कांस्टेबल मोबाब सिंह थे। मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया था।

महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में हुई हत्या के बारे में दर्ज कराई गई एफआईआर में लिखा है कि उनके अंतिम शब्द राम राम थे चार धंटे से भी अधिक समय बाद तक प्राथमिकी में अपराधी के सामने का खाना खाली छोड़ा गया था और नाथूराम गोडसे के नाम का उल्लेख नहीं था बल्कि एक चश्मदीद के बयान में नारायण विनायक गोडसे का नाम लिया गया था राष्ट्रीय अभिलेखागार में सहेजी गई इस प्राथमिकी में इन तथ्यों का उल्लेख है जिसकी प्रति महात्मा गाँधी राष्ट्रीय संग्रहालय में भी मौजूद है।

गाँधी संग्रहालय से मिली प्राथमिकी की छाया प्रति के अनुसार कनॉट प्लेस के निवासी नंदलाल मेहता ने पुलिस को गांधी हत्या का सिलसिलेवार बयान दिया था इसमें शिकायतकर्ता के तौर पर मेहता के नाम का उल्लेख है। दिलचस्प रूप से इसमे अपराधी के नाम के आगे कुछ भी दर्ज नहीं किया गया है। सिर्फ मेहता के बयान में अपराधी का उल्लेख है पर नाम नाथूराम के बजाय नारायण विनायक गोडसे निवासी पुणे दर्ज किया गया। तीस जनवरी 1948 की शाम पाँच बज कर 10 मिनट पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी बिड़ला भवन के प्रार्थना सभा स्थल पर आए और करीब पाँच बज कर सत्रह मिनट पर नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार कर हत्या कर दी। हत्या के तुरंत बाद वहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों ने गोडसे को पकड़ा और तुग़लक़ रोड़ पुलिस थाने पर घटना की प्राथमिकी रात 9 बज कर 45 मिनट पर दर्ज की गई इस थाने में 60 वर्ष तक रखी उनकी हत्या की प्राथमिकी दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपी। इससे पहले एक प्रति महात्मा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय को भी दी गई थी। संग्रहालय के पुस्तकालय प्रमुख एसके ने कहा– गांधी हत्या की प्राथमिकी हमने उस घटना से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ रखी है। तुग़लक़ रोड थाने की एफआईआर नंबर 68 को वर्ष 2002 में हमने दिल्ली पुलिस से हासिल किया था।

भटनागर ने कहा–गांधी की हत्या से जुड़े रिकार्ड में गोडसे और अन्य दोषियों के खिलाफ़ विशेष अदालत के फैसले, दिल्ली सीआईडी की रिपोर्ट, गोडसे का जेल प्रशासन को माता–पिता से मिलने के अनुरोध के लिए लिखा पत्र और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेजों की प्रतियां शामिल हैं। प्राथमिकी दिल्ली पुलिस से हासिल हुई वहीं अन्य दस्तावेज राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी के लिए हमने फरवरी 2002 में दिल्ली पुलिस से सम्पर्क किया था। उसी वर्ष हमें उर्दू में 18 पंक्तियों में लिखी प्राथमिकी की प्रति हासिल हुई। दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष प्राथमिकी राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपी। अभिलेखागार के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि वर्ष 2008 में प्राथमिकी हासिल हुई थी जिसे अब यहां सहेज कर रखा गया है।

शेष पृष्ठ ....38..पर

दुआ बराये बैतुल मुकद्दस

(अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी नसीराबादी)

ख़ुदाया सारे आलम का, तू ही वाहिद मुहाफ़ि है।
तू ही तो किबलये अव्वल का भी, वाहिद मुहाफ़िज़ है।।

नीयत अच्छी नहीं गैरों की अब, बैतुल मुकद्दस पर।
तू ही अल्लाह के घर का तो, अब तन्हा मुहाफ़िज़ है।।

बचाया तूने काबा, अबरहा के लाव लश्कर से।
परिन्दे तो बहाना थे, ख़ुदाया तू मुहाफ़िज़ है।।

ख़लीलुल्लाह को तू ने, बचाया आग से मौला।
तू इब्राहीम के कुन्बे का तो, सच्चा मुहाफ़िज़ है।।

ख़ुदाया शान तेरी, रहमतों की हर ज़माने में।
तू ही तो किबलये अव्वल का भी सच्चा मुहाफ़िज़ है।।

छुरी जिस दम चली हुल्कूमे इस्माईल पर मौला।
तू इब्राहीम के फरज़न्द का, तन्हा मुहाफ़िज़ है।।

खुदाया तूने ही कश्ती बचाई नूह की तन्हा।
बचाया अहले ईमां को तू ही सच्चा मुहाफ़िज़ है।।

मुहम्मद ने इमामत अम्बिया की जिस जगह पर की।
इलाही मस्जिदे अक्सा का भी, तू ही मुहाफ़िज़ है।।

इमामुल अम्बिया का यह लक़ब, जिस दर पे आया है।
उसी दरबार का अल्लाह तू, तन्हा मुहाफ़िज़ है।।

किया है बैतुल मकदिस फ़तह यूँ फ़ारूक़ आज़म ने।
करिश्मा तेरा है या रब, तू ही सच्चा मुहाफ़िज़ है।।

सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी, मौका दिया तूने।
किसी से काम तू लेले, तूही तन्हा मुहाफ़िज़ है।।

तू ही मुश्किल कुशा हाजत रवा, अल्लाह है तन्हा।
खुदा के घर का भी सिद्दीक़ी सुन, अल्लाह मुहाफ़िज़ है।।

❖❖❖

लफ़्ज़ जिहाद का असल मायने

शगुफता ज़ाकिर

''जिहाद'' ये लफ़्ज़ ज़ेहन में आते ही ग़ैर–मुस्लिमों के दिमाग़ में मुसलमानों के प्रति एक अलग छवि बन जाती है। उनका ये विश्वास है कि ग़ैर–मुस्लिमों को बेवजह क़त्ल करना या उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कुबूल करवाना जिहाद कहलाता है। मीडिया और कुछ कट्टरपंथी लोग भी जिहाद की ग़लत व्याख्या करके समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अफ़्सोस होता है कि सिर्फ एक लफ़्ज़ को ग़लत तरीके से लोगों के सामने पेश करने से ग़ैर–मुस्लिमों का मुसलमानों के प्रति नज़रिया बदलता जा रहा है। उनके दिलो दिमाग़ में जिहाद लफ़्ज़ को ज़हर बना कर डाला जा रहा है जो आपसी भाई चारे को खत्म करता जा रहा है।

इस ग़लतफ़हमी को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। शायद ये कोशिश आग में सिर्फ एक बूँद पानी का ही काम करे लेकिन ये छोटी सी कोशिश मूक दर्शक बने रहने से बेहतर है।

सबसे पहले तो ये बात जेहन से निकाल दें कि जिहाद का मतलब किसी को बेवजह क़त्ल करना या ज़बरदस्ती इस्लाम कुबूल करवाना है। अगर कोई संगठन विशेष ऐसा करता है या ऐसा कह रहा है तो वह जन विरोधी और देश विरोधी काम कर रहा है। मुसलमानों का काम सिर्फ इस्लाम के पैग़ाम को दूसरों तक पहुंचाना है। इस्लाम कुबूल करना या न करना लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ग़ैर–मुस्लिमों को यह डर दिखा कर कि अगर आप उनसे नहीं लड़ेंगे तो वे आपको क़त्ल कर देंगे या फिर जबरन इस्लाम कुबूल करवायेंगे यह एक प्रोपेगंडा है। हमारे कुछ वतनी भाई भी इन बातों में आ कर गुमराह हो रहे हैं। जब कि कुर्आन में साफ़ तौर पर लिखा है कि दीने इस्लाम में कोई ज़ोर–ज़बरदस्ती नहीं है।

''दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है क्योंकि हिदायत गुमराही से (अलग) ज़ाहिर हो चुकी है तो जिस शख्स ने झूठे खुदाओं और बुतों का इंकार किया और अल्लाह ही पर ईमान लाया तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ी है जो टूट ही नहीं सकती और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है।''

(2:256)

इसी तरह ग़ैर–मुस्लिम ये सोचते हैं कि इस्लाम दंगे फसाद और दहशतगर्दी और बेवजह लोगों को क़त्ल करने का नाम है जबकि कुर्आन में सख़्ती से किसी को बेवजह क़त्ल करने से मना किया गया है। अल्लाह का इरशाद है– ***''और इसी के सबब हमने बनी इस्राईल पर यह लिख दिया था जो शख़्स किसी को बेवजह क़त्ल करे, बगैर इससे कि उसने किसी को क़त्ल किया हो या ज़मीन पर फसाद फैलाया हो तो गोया उसने पूरी इन्सानियत का क़त्ल किया और जिसने एक शख़्स को बचाया तो गोया उसने पूरी इन्सानियत को बचा लिया''।***

(5:32)

जिस दीन में किसी एक शख्स को बेवजह क़त्ल करने को पूरी इन्सानियत का क़त्ल बताया गया है उस दीन में किसी को मारने की इजाज़त कैसे हो सकती है।

कुछ लोग सूरः तौबा की आयत नं05 को ग़लत तरीक़े से बता कर गुमराह कर रहे हैं कि कुर्आन में काफ़िरों को मारने का हुक्म दिया गया है जबकि इस पूरी सूरः को तफ़्सील से पढ़ने पर पता चलता है कि इस सूरः में जंग का जिक्र है और जो बातें आयत नं0 5 में लिखी हैं वो जंग के सन्दर्भ में है न कि किसी ग़ैर–मुस्लिम को बेवजह क़त्ल करने के लिए। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ अंग्रेज़ों से लड़ाई की उन्हें मारा और कुछ अपने देश के लिए शहीद कर दिये गये तो क्या स्वतंत्रता सेनानियों ने ग़लत किया? अगर भारतीय अपने खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ हथियार नहीं उठाते तो सारी ज़िन्दगी गुलाम बन कर रहते। इसी तरह आज के दौर में भी अगर किसी दूसरे देश का सैनिक हमारे देश की सीमा के अन्दर घुस कर हमारे देश पर कब्ज़ा करने की कोशिश करे या अशांति फैलाने की कोशिश करे तो हमारे देश की सरकार भी तो उन्हें मारने का हुक्म देगी। इसी तरह इस्लामिक काल में भी कई जंगें हुईं। सूरः तौबा में जंग–ए–तबूक का ज़िक्र है जो मुसलमान और मुश्रिकीन के बीच हुई। इसी जंग के सन्दर्भ में ये आयत है कि अगर तुमने नहीं मारा तो वो तुम पर कब्ज़ा करके तुम पर ज़ुलम करेंगे। इसके बाद की आयतों में अल्लाह तआला खुद फरमाते हैं कि फिर अगर वो बाज़ आ जायें तो उन्हें खुद अमन वाली जगह पर छोड़ कर आओ। लेकिन इसके बाद की आयतों को कोई नहीं बताता। सोचने वाली बात है कि जिस मज़हब में बेवजह पानी बहाने को मना किया गया हो उस मज़हब में किसी का बेवजह खून बहाने की इजाज़त कैसे हो सकती है? जिस मज़हब में रास्ते के पत्थर को हटाने पर भी सवाब मिलता है ताकि किसी राहगीर को तकलीफ़ न हो उस मज़हब में किसी को बेवजह तक़लीफ पहुँचाने की इजाज़त हो ही नहीं सकती। इस्लाम तो अमन का पैग़ाम देता है।

जिस जिहाद लफ़्ज़ को लेकर ग़ैर–मुस्लिमों में डर और ख़ौफ़ पैदा कर दिया गया है असल में जिहाद का वो मतलब है ही नहीं। जिहाद एक अरबी लफ़्ज़ है जिसका अर्थ है ''कोशिश करना या संघर्ष करना''।

अरब विद्वान इब्न हज़्म ने हदीस के हवाले से चार तरह के जिहाद गिनाये हैं दिल से, ज़बान से, हाथ से और तलवार से। दिल से जिहाद का मतलब है बुराईयों के खिलाफ़ शैतान से लड़ना या अपने नफ़्स को काबू में रख कर गुनाहों से बचने की कोशिश करना। हम खुद भी तो कहते हैं कि अगर हर इन्सान अपने अन्दर की बुराईयाँ ख़त्म कर दे तो समाज खुद ब खुद बदल जायेगा। ज़बान से जिहाद का मतलब है सच बोलना, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाना और इस्लाम के पैग़ाम को लोगों तक पहुँचाना। हाथ से जिहाद का मतलब है जुल्म या ग़लत कार्य को जिस्मानी कुव्वत से रोकना बगैर किसी हथियार के या दंगा फसाद के। और तलवार से जिहाद का मतलब है अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाना जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया है।

आज मुसलमान कोई भी ग़लत काम करता है तो उसे इस्लाम और जिहाद से जोड़ दिया जाता है। अगर कोई एक मुसलमान कुछ ग़लत करता है तो सारे मुसलमानों को ग़लत नज़र से देखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुस्लिम

लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी के नाम पर उसका शारीरिक या मानसिक शोषण करता है तो इसे भी जिहाद का नाम दे दिया जाता है जबकि कुर्आन में अल्लाह तआला ने मोमिन मर्द और मोमिन औरत को किसी ग़ैर मर्द या ग़ैर औरत को देखने पर नज़रें नीची रखने का हुक्म दिया है। जिस मज़हब में नज़र उठा कर देखना भी ग़लत है वहां किसी लड़की के साथ ग़लत काम करने की इजाज़त कैसे हो सकती है। दीने इस्लाम हर मज़हब की औरतों को इज्ज़त देने की तालीम देता है तो अगर कोई मुसलमान किसी ग़ैर–मुस्लिम लड़की के साथ कुछ ग़लत करता है तो क्या इसके लिए पूरे इस्लाम को या हर मुसलमान को ग़लत ठहराना न्यायसंगत है।

ग़ैर–मुस्लिम भाई–बहनों से अपील है कि ऐसे लोगों की बातों पर कान बन्द करके भरोसा करने के बजाए इन बातों की तहक़ीक़ कर लें आज के दौर में कुर्आन का तजुर्मा और तफ़्सीर हर ज़बान में इण्टरनेट पर मौजूद है। इसे एक बार पढ़ कर सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए।

यक़ीन मानें इस आपस की लड़ाई में नुक़सान सिर्फ और सिर्फ हमारा है। आपस की लड़ाई में हम अपने असल मुद्दों जैसे बेरोज़गारी, ग़रीबी, क्रप्शन को भूलते जा रहे हैं और चन्द लोग इसी आपसी लड़ाई का फायदा उठा रहे हैं।

मुसलमान और ग़ैर–मुस्लिम वैसे नहीं हैं जैसा मीडिया या टी0वी0 चैनलों पर दिखाया जाता है वह तो वैसे हैं जो हमारे आस–पास हैं जिनके साथ हमारा बचपन गुज़रा जिनके साथ हम बड़े हुए हैं जो हर मुसीबत और परेशानी में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। समाज में बहुत सारी ऐसी हिन्दू मुस्लिम एकता की मिसालें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन मीडिया इसे कभी नहीं दिखाता। मीडिया और टी0वी0 चैनलों पर आँख बंन्द करके भरोसा करने के बजाए अपने आस–पास मौजूद अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ अपनी ग़लतफ़हमी दूर करें और फिर एक साथ खड़े हो जायें। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर मज़हब के लोग मिल कर एक परिवार की तरह रहते हैं और अपनी इसी खूबी की वजह से भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है।

❖❖❖

पृष्ठ....34..का शेष

संग्रहालय में रखे हत्याकांड से जुड़े दस्तावेजों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मामले की शुरुआती जांच अधिकारी तुगलक रोड पुलिस थाने के तत्कालीन एसएचओ दसौंधा सिंह, पुलिस उप अधीक्षक जसवंत सिंह और कांस्टेबल मोबाब सिंह थे। मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के मुताबिक मेहता ने बयान में कहा कि वह पाँच बज कर 10 मिनट पर बिड़ला भवन में अपने कमरे से प्रार्थना के लिए बाहर निकले। उनके साथ आभा गांधी और मनु गांधी भी थीं। उनके बयान के मुताबिक गांधी सीढ़ियों से आगे छह–सात क़दम चले थे कि हुजूम में से एक आदमी जिसका नाम बाद में नारायण विनायक गोडसे (निवासी) पूना मालूम हुआ आगे बढ़ा और महात्मा जी के दो तीन फुट के फासले से उसने पिस्तौल से तीन फायर किये।

उनके पेट और छाती से खून निकलना शुरु हो गया। महात्मा जी राम–राम कहते हुए गिर पड़े। प्राथमिकी में लिखा है कि हम महात्मा जी को बेहोशी की हालत में उठा कर बिड़ला हाउस के रिहाईशी कमरे ले गए और उनका उसी वक्त इंतकाल हो गया। पुलिस मुलजिम को थाने ले गई। ◆◇◆

(अवध हेराल्ड, फरवरी 2015 से ग्रहीत)

स्वास्थ्य (पिछले अंक से आगे)

बचपन से ही दांतों की देखभाल ज़रूरी

डॉ0 राकेश अग्रवाल

दाँतों की बीमारियाँ और उनकी देख भालः–

दाँतों की बीमारी को दो भागों में बाँटा जा सकता है–

1. दाँतों का सड़ना गलना।
2. मसूढ़ों की सूजन।

1. पहली बीमारी तब शुरु होती है, जब हम खाने के बाद दाँत साफ नहीं करते। ऐसी स्थिति में बचा हुआ खाना हमारे दाँतों में फँसा रह जाता है। दाँतों में फँसा हुआ खाना और मीठा मुँह में कीटाणुओं के साथ मिल कर तेजाब पैदा करते हैं। वही तेजाब दाँतों की ऊपरी परत यानि इनेमल पर बुरा असर करता है। इससे एक छेद जिसे 'केबिटी' भी कहते हैं बन जाता है और उसमें तेजाब इकट्ठा होना शुरु हो जाता है, और यह केबिटी आगे बढ़ती जाती है और परत से डनटीन तक और फिर नर्व तक पहुँचती है। अगर वह केबिटी जड़ तक पहुँच जाये तो दाँत निकालना पड़ सकता है।

2. मसूढ़ों की सूजन को ''जीजेवाइट्स'' भी कहा जाता है। यह एक आम बीमरी है। यह तीव्र या पुरानी भी हो सकती है। तीव्र होने की स्थिति में बहुत ज़्यादा दर्द और छूने से भी खून आना शुरु हो जाता है। यही तीव्र दर्द कुछ दिनों बाद चिरंकालिक ''जिजजेवाइकस'' में बदल जाता है। इसमें मसूढ़े सूज जाते हैं और दाँत साफ करने पर खून आना शुरु हो जाता है। मुँह में बदबू आने लगती है।

मसूढ़ों से जुड़ी एक बीमारी ''पायरिया'' भी है। यह भी दाँत साफ न करने से होती है। खाना खाने के बाद दाँत साफ़ न करने की स्थिति में बचा हुआ खाना मुँह के कीटाणु व दूसरे पदार्थ मिल कर एक ऐसी परत बनाते हैं जिसे ''प्लाक'' कहा जाता है। यही प्लाक जमनी शुरु हो जाती है। अगर इसे हटाया न जाए तो यह सख्त हो कर मसूढ़ों के साथ–साथ दाँतों पर भी जम जाती है जिसे ''टारटर'' कहते हैं और यह बीमारी धीरे–धीरे दाँत की हड्डी तक पहुँचना शुरु कर देती है, और उसमें से खून के साथ–साथ मवाद निकलना शुरु हो जाता है। इसे ही ''पायरिया'' कहा जाता है।

बीमारियों से बचावः–

दाँतों की बीमारियों से बचने के लिए पाँच विशेष बातों का ध्यान रखना होगा–

1. विटामिन और खनिज युक्त खाना खाना चाहिए।
2. दो खानों के बीच में मीठा चिपकने वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए।
3. खाना खाने के बाद ब्रश से दाँत साफ़ करना चाहिए।
4. दाँत साफ करने के लिए सही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए।
5. रोग होते ही दन्त चिकित्सक के पास अवश्य जाना चाहिए।

अन्य सावधानियाँः–

1. दाँत के दर्द में फिटकरी का कुल्ला और लौंग के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए।
2. बसों व रेलों आदि में बिकने वाली दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए वह खतरनाक एवं जानलेवा होती हैं इससे बचना चाहिए।
3. दाँतों के ऊपर पीलेपन की, मशीन से सफाई करा लेनी चाहिए। कुछ लोगों को भ्रम है कि इससे दाँत कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। सफाई कराने से दाँतों का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है।
4. कई बार दाँत ऊँचे नीचे निकल आते हैं। ऐसी स्थिति में तार लगवा लेना चाहिए। इससे दाँत सही जगह पर आ जाते हैं। उनकी मजबूती भी पहले जैसी ही रहती है।
5. कुछ लोग नकली दाँत लगवाने से घबराते हैं। लेकिन नकली दाँत लगवाने से घबराना नहीं चाहिए। अगर एक दाँत टूट जाता है तो डॉक्टर की सलाह के बाद नया दाँत लगवा लेना चाहिए। दाँत न लगवाने से आस–पास के दाँत ढीले पड़ने शुरु हो जाते हैं। दाँतों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। बोलने में बाधा पैदा होती है। नकली दाँत पूरे लगवाने में भी कोई हानि नहीं है।

इस प्रकार हमें दाँतों की पूर्ण देखभाल करनी चाहिए। लोगों को दन्त स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक सभाएं होनी चाहिएं। स्कूलों में बच्चों को बताना चाहिए। मीडिया भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। बचपन से ही दाँतों की देखभाल बहुत आवश्यक है।

❖❖❖

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

अबू मोहम्मद आमिर नदवी

तुर्की व सीरिया में भूकंप से तबाहीः–

दक्षिणी पूर्वी तुर्किए और दक्षिणी सीरिया में 6 फरवरी 2023 को सूर्योदय से पहले 7.8 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है इस विनाशकारी भूकंप से हज़ारों इमारतें, अस्पताल, स्कूल, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय सबके सब धराशायी हो गये, बिजली, पानी की सेवाएं सब बाधित हो गयीं, रास्ते बन्द हो गये, अब तक हज़ारों की संख्या में लोग मौत के मुँह में समा चुके हैं और सैकड़ों बच्चे यतीम और बड़ी संख्या में औरतें बेवा हो गयी हैं और अभी भी हज़ारों लोगों के मल्बे में दबे होने की आशंका बनी हुई है।

हज़ारों इमारतों के मलबे में बचे लोगों के ढूँढने के लिए बचाव कर्मी रात–दिन काम में लगे हुए हैं। अच्छी बात है कि आपदा की इस घड़ी में दुनिया भर के देशों ने बचाव एवं राहत कार्यों में मदद के लिए टीमें भेजी हैं भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाते हुए तुरंत चार सी–17 ग्लोब मास्टर सैन्य परिवहन विमानों के ज़रिए राहत सामग्री, एक चलित अस्पताल और तलाश एवं बचाव करने वाले विशेषज्ञ दल को भेजा है।

स्वीडन में कुरआन का अनादर निन्दनीयः–

जमाअत इस्लामी हिन्द के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने स्टॉकहोम, स्वीडन में तुर्की दूतावास के बाहर एक दक्षिणपंथी द्वारा पवित्र कुर्आन की प्रति जलाये जाने की निन्दा की है। मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर ने कहा कि हम स्वीडन में कुर्आन की प्रति जलाये जाने की घटना की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। यह एक नस्लवादी हेट क्राइम है। इस जघन्य कृत्य में शामिल व्यक्ति को तुरंत गिरफ़्तार कर उसके ख़िलाफ़ कार्यवाई की जानी चाहिए जमाअत इस्लामी हिन्द का मानना है कि सभी धार्मिक पुस्तकें और व्यक्तित्व सम्मान के पात्र हैं और किसी का अपमान एक निंदनीय कृत्य है। ऐसे कृत्यों की निंदा में चयनात्मक रुख़ या कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

जमाअत इस्लामी हिन्द ने मांग की कि, भारत सरकार इस कृत्य की निंदा करे और भारत में स्वीडिश दूतावास को अपनी नाराज़गी से अवगत कराये।

इंटरनेट बंद होने से भारत को हुआ ₹1500 करोड़ का नुकसानः–

डिजिटल प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाली टॉप 10 वीपीएन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल भारत के अलग–अलग हिस्सों में 34 बार इंटरनेट को शटडाउन (बंद) किया गया। विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए इंटरनेट पर रोक लगाई गई जो जिला शहर या कुछ मामलों में गांव विशेष तक सीमित रही। 2019 से लेकर अब तक दुनिया के 53 देशों में 380 बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की नौबत आई। भारत में पिछले साल 1533 घंटे इंटरनेट बंद रहा जिसके कारण 18.43 करोड़ डॉलर यानि 1497 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। 2021 में 1157 घंटे इंटरनेट बंद रहने से भारत को 58.28 करोड़ डॉलर यानि 4734 करोड़ रूपये का नुकसान झेलना पड़ा था। ◆◆

अहले खैर हज़रात की खिद्मत में

रमजानुल मुबारक 2023 में नदवतुल उलमा के लिए माली तआ़वुन हासिल करने की ग़रज़ से जिन असातिजह, कारकुनान व मुहस्सिलीन को जिस शहर या इलाक़े में भेजा जा रहा है, उसकी तफ़्सील नीचे दी जा रही है, अहले खैर हज़रात से तआ़वुन की दरख़्वास्त है।

–मौलाना फ़ख़रुल हसन खाँ नदवी,
(नाजिर शो–बए–तामीर व तरक्की नदवतुल उलमा, लखनऊ)

क्रमांक	अस्माए गिरामी (नाम)	मोबाइल नं0	उहदा (पद)	इलाक़ा या शहर
1	कारी फ़ज्लुर्रुहमान सा0 नदवी	9919490477	उस्ताद हिफ़्ज़	मुम्बई
2	हाफिज अब्दुल वासे साहब	9307884504	उस्ताद हिफ़्ज़	धूलिया, भिवन्डी, मालेगांव
3	मौ0 अब्दुल वकील साहब नदवी	9889840219	कारकुन शो–बए–इस्लाह मुआशरा	मुम्बई
4	मौ0 मुहम्मद इस्माइल सा0 न0	8604346170	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	मुम्बई
5	मौ0 अब्दुल्लाह साहब नदवी	7499549301	कारकुन द0 दारुल उलूम	मुम्बई न्यु मुम्बई
6	मौ0 मुहम्मद असलम साहब मजाहिरी	9935219730	उस्ताद दारूल उलूम	मद्रास, विजयवाड़ा
7	मौ0 मुहम्मद इरफान सा0 नदवी	7505873005	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	मद्रास, विजयवाड़ा
8	मौ0 शफीक अहमद साहब बांदवी नदवी	9935997860	उस्ताद माहद दारूल उलूम (सिकरौरी)	पटटन, पालनपुर व अतराफ
9	मौ0शमीम अहमद साहब नदवी	9935987423	उस्ताद दारूल उलूम	हैदराबाद, निजामाबाद, नान्देड़
10	मौ0 अनीस अहमद साहब नदवी	9450573107	उस्ताद दारूल उलूम	भटकल, शिमूगा टुमकूर, मन्की, मुरड़ेश्वर
11	मौ0 रशीद अहमद साहब नदवी	7795864313	उस्ताद दारूल उलूम	बंगलूर
12	मौ0 जुहैर अहसन साहब नदवी	9889258560	उस्ताद माहद (सिकरौरी)	बंगलूर
13	मौ0 मुफ़्ती मु0 मुस्तकीम सा0न0	9889096140	उस्ताद दारूल उलूम	आसनसोल, कोलकाता
14	मौ0मुफ़्ती साजिद अली सा0 नदवी	8960204060	मुआविन इल्मी दारूलकज़ा	आसनसोल, कोलकाता
15	क़ारी अब्दुल्लाह खाँ सा0 नदवी	9839748267	उस्ताद तजवीद दारूलउलूम	देहली
16	मौ0 मुहम्मद शुऐब नदवी	6394260480	मुहस्सिल शोबा	बनारस, भदोही, मिरजापुर
17	मौ0 मसऊद अहमद सा0 नदवी	9795715987	उस्ताद माहद (सिकरौरी)	कानपुर
18	मौ0 शकील अहमद सा0 नदवी	9305418153	कारकुन शिब्ली लाइब्रेरी	इलाहाबाद
19	मौ0 मुहम्मद अमजद सा0 नदवी	9616514320	उस्ताद दारूल उलूम	संभल व अतराफ
20	मौ0 जमाल अहमद साहब नदवी	9450784350 9807494150	कारकुन शो–बए–दावत व इरशाद	सुल्तानपुर, अमेठी व मुगलसराय
21	मौ0 मुहम्मद नसीम साहब नदवी	9670049411	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	कानपुर, सन्डीला, गौसगंज, शाहजहांपुर
22	मौ0 बशीरुद्दीन साहब	9889438910	उस्ताद मक्तब	लखनऊ शहर

क्रमांक	अस्माए गिरामी (नाम)	मोबाइल नं0	उहदा (पद)	इलाक़ा या शहर
23	मौ0 इम्तियाज साहब नदवी	9984070892	उस्ताद माहद (महपतमऊ)	लखनऊ शहर
24	हाफिज़ मुबीन अहमद साहब	9839588696	उस्ताद मक्तब	लखनऊ शहर
25	मौ0 अब्दुल मतीन साहब नदवी	9450970865	उस्ताद दारूल उलूम	रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद
26	मौ0 मु0 इकराम साहब नदवी	9839840206	मुहस्सिल शोबा	आसनसोल, कोलकाता
27	मौ0 शरफुद्दीन साहब नदवी	9936740835	मुहस्सिल शोबा	नागपुर, भोपाल, कानपुर
28	क़ारी माजिद अली साहब नदवी	9935626993	मुहस्सिल शोबा	सीतापुर, इन्दौर, उज्जैन
29	मौ0 साजिद अली साहब नदवी	8400015009	मुहस्सिल शोबा	कर्नाटक, आंबूर व गाजियाबाद
30	मौ0 अलीमुल्लाह साहब नदवी	9721413704	मुहस्सिल शोबा	मुम्बई, बस्ती, गोण्डा
31	मौ0 मुहम्मद रिजवान साहब कासमी	8401801990	मुहस्सिल शोबा	अहमदाबाद व दीगर अजला गुजरात
32	हाफिज़ अमीन असग़र साहब	9161219358	मुहस्सिल शोबा	अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, फिरोज़ाबाद, बुलन्दशहर, सिकन्द्राबाद
33	मौ0 अलीमुद्दीन साहब नदवी	8853258362	मुहस्सिल शोबा	खन्डवा, रतनागिरी, पूना, सितारा, कोल्हापुर, सूरत
34	मौ0 मुहम्मद मुस्लिम साहब मजाहिरी	8960513186	मुहस्सिल शोबा	औरंगाबाद, जालना, पूना, अहमदनगर, मुजफ्फरनगर, बनारस, मेरठ, बिजनौर, नजीबाबाद
35	डॉ0 मुहम्मद असलम साहब नदवी	9956223293	उस्ताद माहद	पट्टन व आस पास
36	मौ0 अब्दुर्रहीम साहब नदवी	7388509803	मुहस्सिल शोबा	बाराबंकी, झांसी, मऊ, आजमगढ़ व अतराफ
37	मौ0 अब्दुल माजिद खाँ साहब	9918005726	मुहस्सिल शोबा	देहली
38	मौ0 मुहम्मद अक़ील साहब नदवी	9389868121	उस्ताद मक्तब शहर	सीवान, चम्पारन, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना
39	मौ0 अबुल हयात सा0 नदवी	9795891123	उस्ताद मक्तब शहर	पटना व अतराफ
40	मौ0 अब्दुल कबीर साहब फारूक़ी	8853677677	उस्ताद मक्तब (महपतमऊ)	काकोरी व अतराफ लखनऊ

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा–ए–करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए नं0 **8736833376** पर इत्तिला ज़रूर करें।

ACCOUNTS NO. NADWATUL ULAMA

ZAKAT	:	**10863759766**
ATIA	:	**10863759711**
BUILDING	:	**10863759733**
IFSC	:	**SBIN0000125**

STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH LUCKNOW

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961**के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in

RNI No. UPHIN/2002/0795
Regd. No. SSP/LW/NP-491/2021 To 2023
Dispatch Date :1 & 5
Published of 27th Advance Month
Dispatch: R.M.S Charbagh, Lucknow

MONTHLY
SACHCHA RAHI
Vol. 22 - Issue 01

Office Timing : 7:30 AM To 1:15PM
Tel.:(0522) 2740406
ISSN No. : 2582-4007
http://sachcha-rahi.nadwa.in
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com

RK JEWELLERS
Renowned Name in Jewellery

Haji Abdul Rauf Khan
Haji Mohd. Faheem Khan
Mohd. Owais Khan

Shop : Sarai Bans, Akbari Gate,
Chowk, Lucknow - 226003
Ph.: 0522-2267910
+91-9415108039

R.K. Clinic Research CENTRE

R. K. CLINIC
& RESEARCH CENTRE
Dr. Mohammad Fahad Khan
M.D.
विशेषज्ञ
पेट एवं उदर रोग, श्वास एवं चेस्ट रोग, एण्ड्रोक्रायोनोलोजी एवं मधुमेह रोग
24 HOURS EMERGENCY SERVICES AVAILABLE
G-1, Aman Apartments, Chaupatiyan, Opp. Power House, Lucknow
Ph.: 0522-2651950, 9415006983

Printed & Published by Mohammad Taha Athar on behalf of Majlis-e-Sahafat-wa-Nashriyat
at Kakori Offset Press, Aminabad, Lucknow